IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st
Vaishali at Hajipur
Present : Manoj Kumar Tiwari, D. & A.S.J.-Ist, Vaishali.
Date of Judgment:-03.08.2026
S.Tr. No.- 470/2024+597/2024
Case No. :- Mahila P.S. Case No.-21/2023

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1
Vaishali at Hajipur
Present Manoj Kumar Tiwari, D & A.S.J.-Ist, Vaishali.
Date of Judgment:-03-08-2026
S.Tr.No.-470/2024+597/2024
Case No.:- Mahila P.S. Case No.-21/2023

REPRESENTED BY	Sri Shyambabu Rai – P. P. Vaishali
ACCUSED	1. Navinanand Kumar @ Dhanpat Kumar, S/O-Ramdayal Sah, Aged about 33 years. 2. Ramdayal Sah, S/O-Late Rameshwar Sah, Aged about 57 years. 3. Sonali Kumari, D/O-Ramdayl Sah, Aged about 23 years. 4. Nisha Kumari, W/O-Aalok Kumar, Aged about 24 years. 5. Dipu Kumar, S/O-Ramdayal Sah, Aged about 27 years. 6. Sijanki Devi, W/O- Ramdayal Sah, Aged about 55 years. Above all residence-Vill-Shankarpur, P.S.-Mahua, Dist-Vaishali.
REPRESENTED BY	Sri. Rajesh Kumar, Learned Advocate.

Manoj Kumar
03/08/2026

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम वैशाली, हाजीपुर

Date of Offence	From 2021 to 10.07.2023
Date of FIR	13.07.2023
Date of Charge-sheet	C.S. No.-35/2023, dated-30.11.2023 & C.S. No.-19/2024, dated-30.04.2024
Date of Framing of Charges	14.08.2024
Date of Commencement of evidence	05.09.2024
Date on which judgment is reserved	23.07.2026
Date of the Judgment	03.08.2026
Date of the Sentencing Order, if any	13.08.2026

Accused Details :

Rank of the Accused	A-1
Name of Accused	Navinand Kumar @ Dhanpat Kumar
Date of Surrender/Arrested	31.10.2023
Date of Release on Bail	Custody
Offences Charged with	341, 323, 324, 307, 377, 498(A), 304(B), 504, 506/34 of the I.P.C.

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st
Vaishali at Hajipur
Present : Manoj Kumar Tiwari, D. & A.S.J.-Ist, Vaishali.
Date of Judgment:-03.08.2026
S.Tr. No.- 470/2024+597/2024
Case No. :- Mahila P.S. Case No.-21/2023

Whether Acquitted or convicted	Convicted
Sentence Imposed	**भा0दं0वि0 की धारा–341** के अंतर्गत एक मास का साधारण कारावास। **भा0दं0वि0 की धारा–323** के अंतर्गत एक वर्ष का साधारण कारावास एवं 500/–रु0 का जुर्माना, जुर्माना न देने की दशा में 15 दिन का अतिरिक्त कारावास। **भा0दं0वि0 की धारा–498ए** के अंतर्गत 03 वर्ष का कारावास एवं 5,000/–रु0 का जुर्माना, जुर्माना न देने की दशा में 03 मास का अतिरिक्त कारावास। **भा0दं0वि0 की धारा–304बी** के अंतर्गत 14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000/–रु0 का जुर्माना, जुर्माना न देने की दशा में 06 मास का अतिरिक्त कारावास। **भा0दं0वि0 की धारा–504** के अंतर्गत 02 वर्ष का साधारण कारावास एवं 3,000/–रु0 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना न देने की दशा में 03 मास का अतिरिक्त कारावास। **भा0दं0वि0 की धारा–506** के अंतर्गत 02 वर्ष का साधारण कारावास एवं 3,000/–रु0 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना न देने की दशा में तीन मास का अतिरिक्त कारावास।
Period of Detention Undergone during Trial for purpose of section 428, Cr.P.C.	**02 Year 09 Months 03 Days**

Manoj 03.08.2026

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ★ वैशाली, हाजीपुर ★ सत्यमेव जयते

Rank of the Accused	A-2
Name of Accused	Ramdayal Sah
Date of Surrender/Arrested	08.04.2024
Date of Release on Bail	08.04.2024
Offences Charged with	341, 323, 324, 307, 377, 498(A), 304(B), 504, 506/34 of the I.P.C.
Whether Acquitted or convicted	Acquitted
Sentence Imposed	....
Period of Detention Undergone during Trial for purpose of section 428, Cr.P.C.	00 Year 00 Months 00 Days

Rank of the Accused	A-3
Name of Accused	Sonali Kumari
Date of Surrender/Arrested	08.04.2024
Date of Release on Bail	08.04.2024

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st
Vaishali at Hajipur
Present : Manoj Kumar Tiwari, D. & A.S.J.-I[st], Vaishali.
Date of Judgment:-03.08.2026
S.Tr. No.- 470/2024+597/2024
Case No. :- Mahila P.S. Case No.-21/2023

Offences Charged with	341, 323, 324, 307, 377, 498(A), 304(B), 504, 506/34 of the I.P.C.
Whether Acquitted or convicted	Acquitted
Sentence Imposed	....
Period of Detention Undergone during Trial for purpose of section 428, Cr.P.C.	00 Year 00 Months 00 Days

Rank of the Accused	A-4
Name of Accused	Nisha Kumari
Date of Surrender/Arrested	31.10.2023
Date of Release on Bail	31.10.2023
Offences Charged with	341, 323, 324, 307, 377, 498(A), 304(B), 504, 506/34 of the I.P.C.
Whether Acquitted or convicted	Acquitted
Sentence Imposed	....
Period of Detention Undergone during Trial for purpose of section 428, Cr.P.C.	00 Year 00 Months 00 Days

Rank of the Accused	A-5
Name of Accused	Dipu Kumar
Date of Surrender/Arrested	08.04.2024
Date of Release on Bail	08.04.2024
Offences Charged with	341, 323, 324, 307, 377, 498(A), 304(B), 504, 506/34 of the I.P.C.
Whether Acquitted or convicted	Acquitted
Sentence Imposed	....
Period of Detention Undergone during Trial for purpose of section 428, Cr.P.C.	00 Year 00 Months 00 Days

Rank of the Accused	A-6
Name of Accused	Sijanki Devi
Date of Surrender/Arrested	31.10.2023
Date of Release on Bail	31.10.2023
Offences Charged with	341, 323, 324, 307, 377, 498(A), 304(B), 504, 506/34 of the I.P.C.
Whether Acquitted or convicted	Acquitted

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st
Vaishali at Hajipur
Present : Manoj Kumar Tiwari, D. & A.S.J.-Ist, Vaishali.
Date of Judgment:-03.08.2026
S.Tr. No.- 470/2024+597/2024
Case No. :- Mahila P.S. Case No.-21/2023

Sentence Imposed	....
Period of Detention Undergone during Trial for purpose of section 428, Cr.P.C.	00 Year 00 Months 00 Days

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESSES :-

A. **Prosecution**

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye witness, police witness, expert witness, medical witness, panch witness, other witness)
PW 1	Manish Kumar	(Other Witness)
PW 2	Devendra Sah	(Other Witness)
PW 3	Sulekha Devi	(Other Witness)
PW 4	Kumari Indu Sinha	(Police Witness)
PW 5	Priti Kumari	(Police Witness)
PW 6	Dr. Toshal Digambar Wankhade	(Medical Witness)
PW 7	Dr. Avinash Singh	(Medical Witness)

C. **Defence Witnesses, if any:**

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye witness, police witness, expert witness, medical witness, panch witness, other witness)
DW 1	NIL	NIL
DW 2	NIL	NIL

D. **Court Witnesses, if any:**

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye witness, police witness, expert witness, medical witness, panch witness, other witness)
CW 1.	NIL	NIL
CW 2.	NIL	NIL

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT EXHIBITS

A. **Prosecution :**

Sr.No.	Exhibit Number	Description
1.	Exhibit P-01/PW 01	Signature of Informant Nisha Kumar on Fardyaban.
2.	Exhibit P-02/PW 02	Signature of witness Devdendra Sah on Fardyaban.
3.	Exhibit P-03/PW 04	Endorsoment of S.H.O. on Fardbayan.
4.	Exhibit P-04/PW 04	Formal F.I.R.
5.	Exhibit P-05/PW 05	Original C.S.

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st
Vaishali at Hajipur
Present : Manoj Kumar Tiwari, D. & A.S.J.-Ist, Vaishali.
Date of Judgment:-03.08.2026
S.Tr. No.- 470/2024+597/2024
Case No. :- Mahila P.S. Case No.-21/2023

6.	Exhibit P-06/PW 05	Suppl. C.S.
7.	Exhibit -X/PW 05	Treatment Summary.
8.	Exhibit P-07/PW 06	P.M. Report.
9.	Exhibit P-08/PW 06	Supplemantary opinion related to P.M. report.
10.	Exihibit P-09/PW 07	Histopathology report

B. **Defence:**

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1.	NIL	NIL
2.	NIL	NIL

C. **Court Exhibits:**

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1.	NIL	NIL
2.	NIL	NIL

D. **Material Objects:**

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1.	NIL	NIL
2.	NIL	NIL

Present : Manoj Kumar Tiwari
District & Additional Sessions Judge Ist,
Vaishali at Hajipur.

JUDGMENT

(1) उपरोक्त नामांकित अभियुक्तगण नवीनानंद कुमार उर्फ धनपत कुमार, रामदयाल साह, सोनाली कुमारी, निशा कुमारी, दिपु कुमार एवं सिजानकी देवी, के विरुद्ध भा0द0वि0 के धारा–341, 323, 324, 307, 377, 498(A), 304(B), 504, 506/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप का विचारण प्रस्तुत वाद में प्रारंभ किया गया है।

(2) संक्षेप में प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी इस प्रकार से है कि इस वाद के सूचिका–सह पीड़िता द्वारा पुलिस पदाधिकारी के समक्ष दिनांक–10.07.2023 को फर्दबयान दिया

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st
Vaishali at Hajipur
Present : Manoj Kumar Tiwari, D. & A.S.J.-Ist, Vaishali.
Date of Judgment:-03.08.2026
S.Tr. No.- 470/2024+597/2024
Case No. :- Mahila P.S. Case No.-21/2023

गया कि "मेरी शादी दो वर्ष पहले नवीनानंद कुमार उर्फ धनपत कुमार के साथ हुआ था। जब मैं ससुराल गयी तो पता चला कि मेरे पति पहले से शादी किये थे जिसकी मृत्यु हो गई है। मेरे साथ दहेज के लिए प्रताड़ित करता है तथा अप्राकृतिक यौनाचार करना शुरू कर दिया, जिससे मेरी तबीयत खराब हो गयी। दहेज के लिए मेरे पति नवीनानंद कुमार, सास सिजानकी देवी, ससुर राम दयाल साह, दिपु कुमार देवर तथा सोनाली कुमारी एवं निशा कुमारी दोनों ननद द्वारा मारपीट किया गया इसकी सूचना महिला थाना को दिये तो थाना स्तर से समझौता कराकर पुनः पति के पास भेज दिया गया। फिर भी मेरे पति एवं ससुराल के उक्त लोगों द्वारा धमकी दिया गया कि एक बाईक और पांच लाख रूपया नहीं दिया तो किसी न किसी बहाने जान से मार देंगे। पति ने मेरे साथ अप्राकृतिक यौनाचार करता था और जबरदस्ती नौ सुई एवं गोली खिलाने लगा जिससे मेरा तबीयत बिगड़ने पर हाजीपुर अस्पताल में भर्त्ती कराकर मेरा पति भाग गया वहां से मैं अपने पिता को खबर की तो वे आये और वहां से रेफर करने पर पटना नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती होकर अपना ईलाज करा रही हूँ।"

(3) सूचक के द्वारा दिये गय लिखित फर्दबयान के आधार पर महिला थाना कांड सं0–21/2023 दिनांक–13.07.2023 धारा–341, 323, 307, 377, 498(A), 504, 506/34 भा.द.वि. एवं 3/4 डी0पी0 एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया। प्रस्तुत वाद में अनुसंधान पश्चात् आरोप पत्र सं0–35/2023 दिनांक–30.11.2023 धारा–341, 323, 324, 307, 377, 498(A), 304(B), 504, 506/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत अभियुक्तगण नवीनानंद कुमार उर्फ धनपत कुमार, सोनाली कुमारी एवं निशा कुमारी के विरूद्ध समर्पित किया गया तथा आरोप पत्र सं0–19/2024 दिनांक–30.04.2024 धारा–341, 323, 324, 307, 377, 498(A), 304(B), 504, 506/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत अभियुक्तगण रामदयाल साह, दिपु कुमार एवं सिजानकी देवी के विरूद्ध समर्पित किया गया। प्रस्तुत वाद में दिनांक–14.08.2024 को अभियुक्तों के विरूद्ध धारा–341, 323, 324, 307, 377, 498(A), 304(B), 504, 506/34 भा.द.वि. के अंतर्गत संज्ञान लिया गया तथा वाद को 27.05.2024 को तत्कालीन श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर के यहां दौरा सुपुर्द करने का आदेश दिया गया। प्रस्तुत वाद से संबंधित दो अलग–अलग अभिलेख तत्कालीन विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के

कार्यालय में दिनांक—10.06.2024 एवं दिनांक—26.07.2024 को प्राप्त हुई, जहां पर प्रस्तुत वाद संत्र संख्या—470 / 2024 एवं 597 / 2024 पंजीकृत हुआ तत्पश्चात् विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा वाद की संचिका को विचारण एवं निष्पादन हेतु तत्कालीन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्यारह, वैशाली, के न्यायालय में स्थानांतरित किया गया। दिनांक—14.08.2024 को उपरोक्त दोनों अभिलेख को अमलगेट किया गया। प्रस्तुत वाद की संचिका हस्तांतरित होते हुए दिनांक—02.03. 2026 को मेरे इस न्यायालय में विचारण एवं निष्पादन हेतु हस्तांतरित होकर प्राप्त हुई।

(4) प्रस्तुत वाद में उपरोक्त नामित अभियुक्तगण नवीनानंद कुमार उर्फ धनपत कुमार, रामदयाल साह, सोनाली कुमारी, निशा कुमारी, दिपु कुमार एवं सिजानकी देवी को दिनांक—14.08.2024 को धारा—341, 323, 324, 307, 377, 498(A), 304(B), 504, 506/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप पत्र का गठन किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया एवं अपने को निर्दोष बताते हुए विचारण का दावा किया।

(5) विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से कुल सात मौखिक साक्षियों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है, जिसमें अभियोजन साक्षी सं0—01 मनीष कुमार, अभियोजन साक्षी सं0—02 देवेन्द्र साह, अभियोजन साक्षी सं0—03 सुलेखा देवी, अभियोजन साक्षी सं0—04 कुमारी इन्दु सिन्हा (अनुसंधानकर्ता), अभियोजन साक्षी सं0—05 प्रीति कुमारी (अनुसंधानकर्ता), अभियोजन साक्षी सं0—06 डॉ तोशल दिगम्बर वानखडे (चिकित्सक पदाधिकारी) एवं अभियोजन साक्षी सं0—07 डॉ0 अविनाश सिंह को परीक्षित कराया गया है, इसके अलावा अभियोजन की ओर से अन्य कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(6) दिनांक—29.01.2026 को अभियुक्तगण नवीनानंद कुमार उर्फ धनपत कुमार, रामदयाल साह, सोनाली कुमारी, निशा कुमारी, दिपु कुमार एवं सिजानकी देवी को द0प्र0सं0 की धारा—313 के अंतर्गत प्रतिरक्षा क्रम में बयान अंकित किया गया,

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st
Vaishali at Hajipur
Present : Manoj Kumar Tiwari, D. & A.S.J.-I[st], Vaishali.
Date of Judgment:-03.08.2026
S.Tr. No.- 470/2024+597/2024
Case No. :- Mahila P.S. Case No.-21/2023

अभियुक्तगण ने अपने प्रतिरक्षा क्रम के बयान में घटना के सत्यता से इंकार किया एवं अपने को निर्दोष बताते हुए झूठे केस में संदेह के आधार पर फंसाने का कथन किया गया। ***यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि प्रथम बार बयान बनने के पश्चात् पुनः एक साक्षी डॉक्टर अविनाश सिंह का साक्ष्य कराया गया था और इस साक्ष्य के पश्चात् बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने स्वेच्छा से निवेदन किया कि वे पुनः बयान नहीं बनवाना चाहते हैं, बल्कि पूर्व के बयान पर ही रहना चाहते हैं। बचाव पक्ष के इस निवेदन से यह स्पष्ट है कि वे अभियोजन साक्ष्य में आये उन समस्त तथ्यों के बारे में जानते हैं, जो उनके विरूद्ध अभियोजन साक्ष्य के दौरान आया है। अतः बचाव पक्ष के निवेदन को स्वीकार किया गया।***

(7) न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्ति संगत संदेहों से परे साबित कर पाने में सफल हो सका है ?

Manoj 03.08.2026

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम वैशाली, हाजीपुर सत्यमेव जयते

म न्त व्य

(8) प्रस्तुत वाद में अभियोजन की ओर से कुल सात मौखिक साक्षियों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है, जिसमें अभियोजन साक्षी सं0–01 मनीष कुमार, अभियोजन साक्षी सं0–02 देवेन्द्र साह, अभियोजन साक्षी सं0–03 सुलेखा देवी, अभियोजन साक्षी सं0–04 कुमारी इन्दु सिन्हा (अनुसंधानकर्ता), अभियोजन साक्षी सं0–05 प्रीति कुमारी (अनुसंधानकर्ता), अभियोजन साक्षी सं0–06 डॉक्टर तोशल दिगम्बर वानखड़े (चिकित्सक पदाधिकारी) एवं अभियोजन साक्षी सं0–07 डॉक्टर अविनाश सिंह को परीक्षित कराया गया है, इसके अलावा अभियोजन की ओर से अन्य कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(9) **अभियोजन साक्षी सं0–01 मनीष कुमार (05.09.2024)** अपने साक्ष्य में कहा है कि पीड़िता मेरी बहन थी। पीड़िता की शादी दिनांक–05.05.2021 को नवीनानंद उर्फ धनपत कुमार के साथ हिन्दू रीति–रिवाज से हुई थी। शादी के बाद पीड़िता अपने ससुराल गयी, जहां 3–4 महीना तक ठीक से रही, उसके बाद उसके ससुराल वाले नवीनानंद उर्फ धनपत कुमार (पति), सिजानकी देवी (सास), दीपू

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st
Vaishali at Hajipur
Present : Manoj Kumar Tiwari, D. & A.S.J.-I[st], Vaishali.
Date of Judgment:-03.08.2026
S.Tr. No.- 470/2024+597/2024
Case No. :- Mahila P.S. Case No.-21/2023

कुमार (देवर), सोनाली कुमारी (ननद), निशा कुमारी (ननद), रामदयाल साह (ससुर) मिलकर मेरी बहन पीड़िता को पांच लाख रुपया एवं एक मोटरसाईकिल की मांग करते थे, जिसके लिए मेरी बहन को प्रताड़ित करते थे। मेरी बहन पीड़िता फोन से इस बात की जानकारी हमलोगों को दी, तब हमलोगों ने पीड़िता के ससुराल जाकर समझाने का प्रयास किया था। मैं एवं मेरे पिताजी पीड़िता के ससुराल जाकर समझाने का प्रयास किया था। मैं एवं मेरे पिताजी पीड़िता के ससुराल समझाने गये, जहां पर ससुराल वालों से बातचीत हुई थी, परन्तु वे लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। उसके बाद पीड़िता के ससुराल वाले उसका खाना–पीना बंद कर दिया एवं उसके साथ मारपीट करने लगे। पीड़िता के ससुराल वाले महिला कंपाउडर बुलाकर पीड़िता को 09 सुई दिलवाये एवं 07 टेबलेट भी खिलाया था, जिससे कि वह धीरे–धीरे मर जाये एवं लोगों को पता चले कि वह बीमारी से मर गयी है। उसके बाद नवीनानंद उर्फ धनपत हाजीपुर अस्पताल में मेरी बहन पीड़िता को भर्त्ती कराकर भाग गया। जब मेरी बहन पीड़िता होश में आयी तब घर पर फोन करके इस बात की जानकारी दी, जिस पर हमलोग वहां पहुंचे। उसके बाद पीड़िता को पटना एन0एम0सी0एच0 रेफर कर दिया गया। पुनः एन0एम0सी0एच0 पटना से पीड़िता को एम्स, पटना रेफर कर दिया गया, जहां पीड़िता की मृत्यु हो गयी। पीड़िता का इलाज एन0एम0सी0एच0, पटना में लगभग 21 दिनों तक चला था। पीड़िता अपना फर्दबयान एन0एम0सी0एच0, पटना में दी थी, जिस फर्दबयान पर पीड़िता का हस्ताक्षर है एवं गवाह के रूप में मेरे पिताजी देवेन्द्र साह का हस्ताक्षर हैं, जिसे मैं पहचानता हूं। पीड़िता के हस्ताक्षर को प्रदर्श–पी0–01/पी0डब्लू0–01 एवं देवेन्द्र साह के हस्ताक्षर को प्रदर्श–पी0–02/पी0डब्लू0–01 अंकित किया जाता है। जो बयान आज न्यायालय में दिया है, वही बयान मैंने पुलिस के समक्ष भी दिया है। मैं सभी अभियुक्तगण को पहचानता हूं। प्रति–परीक्षण की कंडिका–06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 एवं 14 में इस साक्षी ने बताया है कि आज न्यायालय में अभियुक्त रामदयाल साह उपस्थित है एवं एक अभियुक्त नवीनानंद कुमार को भी पहचान किया, जिसे कि Video conferencing से उपस्थित किया गया। दरोगाजी घटना के 05 दिन बाद मेरा बयान लिये थे। दरोगाजी महिला थाना हाजीपुर पर मेरा बयान लिये थे। मेरे साथ महिला थाना हाजीपुर पर मेरी मां सुलेखा देवी, पिता–देवेन्द्र साह का भी बयान उसी दिन हुआ था एवं अन्य किसी व्यक्ति का मेरे साथ बयान नहीं हुआ था। महिला थाना की पुलिस मेरे घर

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st
Vaishali at Hajipur
Present : Manoj Kumar Tiwari, D. & A.S.J.-I[st], Vaishali.
Date of Judgment:-03.08.2026
S.Tr. No.- 470/2024+597/2024
Case No. :- Mahila P.S. Case No.-21/2023

पर एक बार गयी थी। महिला थाना पुलिस भी गयी थी। महिला थाना पुलिस घटना के कितने दिनों के बाद गाम—शंकरपुर गयी थी—मुझे मालूम नहीं है। पुनः कहता है कि घटना के 4—5 दिनों के बाद गयी थी। जिस दिन महिला थाना की पुलिस गाम—शंकरपुर गयी थी, उस दिन मैं वहां नहीं था, परन्तु मेरे पिताजी वहां मौजूद थे। मेरे घर से घटनास्थल वाले गांव की दूरी 10—12 किलोमीटर है। शादी के बाद मैं अपने बहन के ससुराल बहन के साथ परेशानी होने पर जाता था। मैं अकेले भी जाता था एवं पिताजी के साथ भी जाता था। शादी के बाद मेरी बहन जब अपने ससुराल गयी तब लगातार 05 महीनों तक रही थी उसके बाद मैं विदागरी कराकर उसे लाया था। ससुराल वाले ठीक ढंग से विदागरी किये थे, उसके बाद मेरी बहन दुबारा लगभग 02 महीने के बाद फिर ससुराल गयी। मेरी बहन को कोई बच्चा नहीं था। कंडिका—15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एवं 27 में बताया है कि मेरी बहन के ससुराल में पक्का का मकान था। उस मकान में एक कोठली, दो आवासीय कमरा, बरामदा एवं बाथरूम है। मेरी बहन के ससुराल के घर के उत्तर में विश्वनाथ साह का मकान, दक्षिण में राजकुमार साह का मकान, पूरब में ग्रामीण सड़क एवं पश्चिम में रामदयाल साह का परती जमीन है। ननद निशा कुमारी की शादी हो चुकी है। मेरी बहन की शादी के साल भी बाद ननद निशा कुमारी की शादी हुई थी। ननद निशा कुमारी अपने ससुराल में रहती है। ननद निशा कुमारी का ससुराल किस गांव में है —मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मेरी बहन पहली बार गणपति अस्पताल हाजीपुर में भर्त्ती हुई थी, जहां उसका पति इलाज कराने के लिए लाया था और भर्त्ती कराकर भाग गया था। मेरी बहन एक दिनों के लिए गणपति अस्पताल हाजीपुर में रही थी। उसके बाद रेफर कराकर एन0एम0सी0एच0 पटना ले गये, जहां करीब 14—15 दिनों तक भर्त्ती रही फिर उसके बाद उसे एम्स, पटना रेफर कर दिया गया, जहां वह 16 तारीख को भर्त्ती हुई थी एवं इलाज के दौरान दिनांक—21.07.2023 को उसकी मृत्यु हो गयी। पीड़िता के शरीर में सूजन था। शरीर पूरा फूल गया था, देह—हाथ कांप रहा था। इसके पूर्व मेरी बहन कभी बीमार नहीं पड़ी थी। दोबारा जब मेरी बहन अपने ससुराल गयी थी, तब ससुराल वाले मेरी बहन के साथ मारपीट करने लगा था। मैं पीड़िता के साथ मारपीट होते हुए नहीं देखा था, परन्तु उसके शरीर पर जख्म देखा था। पीड़िता के साथ मारपीट लगातार होता था, जब मैंने पीड़िता के शरीर पर पहली बार जख्म देखा था—उसका दिन, तारीख मुझे याद

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st
Vaishali at Hajipur
Present : Manoj Kumar Tiwari, D. & A.S.J.-I[st], Vaishali.
Date of Judgment:-03.08.2026
S.Tr. No.- 470/2024+597/2024
<u>Case No. :- Mahila P.S. Case No.-21/2023</u>

नहीं है। मैं जख्म देखने के बाद इलाज नहीं कराया था, जब मैं पहली बार जख्म देखा तो पीड़िता के बांह एवं पैर पर चोट का निशान था। जिस गांव में मेरी बहन की शादी हुई थी, वहां पर गांव के लोगों के साथ पंचायती हुआ था, मुझे याद नहीं है कि पंचायती में कौन–कौन गांव के लोग थे। पंचायती मे मेरे एवं मेरे पिताजी के अलावा मेरे गांव से नीतीश कुमार, पंकज कुमार, जितेन्द्र कुमार गये थे। मैंने पुलिस के समक्ष दिये बयान में नहीं बता पाया था कि मेरी बहन के पैर के नीचे जख्म देखा था। दूसरी बार जब पीड़िता अपने ससुराल गयी थी तब वह करीब 2–4 महीनों तक अपने ससुराल में रही थी। तीसरी बार भी मेरी बहन अपने ससुराल गयी थी, उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गयी थी। इस केस के पूर्व मेरी बहन महुआ थाना में प्रताड़ना के खिलाफ आवेदन दी थी। इस आवेदन के जांच के लिए पुलिस आयी, जहां पर मैं भी मौजूद था। मेरी बहन की मृत्यु होने के बहुत पहले ही वह महुआ थाना में आवेदन दी थी, दिन याद नहीं है।

Manoj 03-08-2026

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम वैशाली, हाजीपुर

अभियोजन साक्षी सं0–02 देवेन्द्र शाह (12.09.2024) अपने साक्ष्य में कहा है कि पीड़िता मेरी बेटी थी, जिसकी शादी धनपत साह के साथ दिनांक–05.05.2021 को हिन्दू रीति–रिवाज से हुई थी। शादी के बाद पीड़िता अपने ससुराल गयी, जहां पर 5–6 महीनों तक ठीक से रही, उसके बाद पीड़िता के साथ अप्राकृतिक यौनाचार धनपत साह करने लगा तथा 05 लाख रुपया और एक मोटरसाईकिल की मांग रामदयाल साह, सिजानकी, दीपू कुमार, निशा कुमारी–ननद, सोनाली–ननद करने लगे। हमलोग पीड़िता के ससुराल जाते थे, तब सभी लोग कहते थे कि 05 लाख रुपया दो और मोटरसाईकिल दो, नहीं देने पर पीड़िता के साथ मारपीट करते थे। उसके बाद पंचायती हुआ, जिसमें शशि कुमार, पंकज कुमार, नीतीश कुमार, जितेन्द्र कुमार एवं अन्य लोग भी गये थे। जिस पंचायती को अभियुक्तगण नहीं माने तथा बोले कि नहीं दीजियेगा तो मेरी व्यक्ति है, हम जईसे रखें। उसके बाद मेरी बेटी महिला थाना में गयी, क्योंकि उसके मुंह में पेशाब कर देता है, घिनौना काम करता है और मारपीट करता है। उसके बाद थाना ने समझा–बुझाकर पीड़िता को उसके ससुराल ग्राम–शंकरपुर भेजा, जहां उसके साथ सभी लोग फिर मारपीट करने लगे। उसके बाद गांव के कंपाउडर से 09 टेबलेट पीड़िता को खिला दिया एवं 10–11 सुई पीड़िता को दिला दिया, ताकि पीड़िता बीमार हो जाय। उसके बाद पीड़िता की हालत बुरी तरह से खराब हो गयी। उसके बाद पीड़िता को गणपति

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st
Vaishali at Hajipur
Present : Manoj Kumar Tiwari, D. & A.S.J.-I[st], Vaishali.
Date of Judgment:-03.08.2026
S.Tr. No.- 470/2024+597/2024
Case No. :- Mahila P.S. Case No.-21/2023

अस्पताल, हाजीपुर में धनपत साह भर्त्ती कराकर वहां से भाग गया। उसके बाद मेरी बेटी पीड़िता हमको फोन की, जिस पर मैं मनीष कुमार, सुलेखा देवी, माला देवी, सोनम देवी, लगन शर्मा अस्पताल पहुंचे एवं उसके बाद पीड़िता को एन0एम0सी0एच0, पटना ले गये, जहां पीड़िता का इलाज चला। पीड़िता के शरीर में खून नहीं था, इसलिए उसे खून चढ़ा। उसके बाद पीड़िता को हमलोग एम्स, दानापुर फुलवारी से आगे ले गये, जहां पीड़िता का इलाज 06 दिनों तक हुआ। उसके बाद वहां भी पीड़िता को खून चढ़ा, उसके बाद 12 या 01 बजे के करीब में पीड़िता का देहान्त हो गया। पीड़िता का इलाज कुल 21 दिनों तक चला था। पीड़िता एन0एम0सी0एच0 पटना में अपना फर्दबयान मेरे समक्ष दी थी, जिस फर्दबयान को पढ़कर मुझे एवं पीड़िता को समझाया गया था। उस फर्दबयान पर गवाह के रूप में मेरा हस्ताक्षर है, जिसे पूर्व में प्रदर्श–पी0–02/पी0डब्लू0–01 अंकित किया जा चुका है। जो सारी बातें मैं न्यायालय में बोल रहा हूं, वह सारी बात मैं पुलिस के समक्ष बताया था। आज न्यायालय में पीड़िता के ससुर, अभियुक्त रामदयाल साह उपस्थित है, जिसे मैं पहचानता हूं। एक अन्य काराधीन अभियुक्त धनपत को वी0सी0 के माध्यम से गवाह ने पहचाना तथा अन्य अभियुक्तों को पहचानने का दावा करते हैं। प्रति–परीक्षण की कंडिका–06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 एवं 15 में इस साक्षी ने बताया है कि मैं सिर्फ दस्तखत करना जानता हूं। मेरा जन्म वर्ष 1964 में हुआ था। मेरी बेटी पीड़िता का जन्म कब हुआ था–मुझे याद नहीं है। मेरी बेटी पीड़िता की शादी का दिन–तिथि कागज पर लिखा हुआ था, जो कि घर में है, इसलिए अभी तक याद है। दरोगा के यहां मेरा बयान मेरी बेटी के मरने के कितनों दिनों के बाद हुआ था–मुझे याद नहीं है। मैंने दरोगाजी के समक्ष दिये गये अपने बयान में ऐसा कहा था कि "दिनांक–05.05.2021 को मेरी बेटी की शादी हुई थी एवं 05 लाख रुपया नकद एवं एक मोटरसाईकिल की मांग करते थे।" मैं गरीब आदमी हूं। मेहनत, मजदूरी करके मैंने अपनी बच्ची का शादी किया था, दान–दहेज की बात नहीं हुई थी, जो सका था वह सर–सामान दिया था। मुझे याद नहीं है कि मैंने दरोगाजी के समक्ष दिये गये अपने बयान में ऐसा कहा था कि पंचायती हुई थी और पंचायती में पंकज, नीतीश, जितेन्द्र एवं अन्य लोग थे। मैंने दरोगाजी के समक्ष दिये गये अपने बयान में ऐसा कहा था कि "मेरी बेटी महिला थाना गयी थी, क्योंकि उसके मुंह में पेशाब कर देता था।" मेरी बेटी के शादी में फलादन, तिलक हुआ था, शादी के 04 दिन पूर्व

Manoj 03-08-2026

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम वैशाली, हाजीपुर

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st
Vaishali at Hajipur
Present : Manoj Kumar Tiwari, D. & A.S.J.-Ist, Vaishali.
Date of Judgment:-03.08.2026
S.Tr. No.- 470/2024+597/2024
Case No. :- Mahila P.S. Case No.-21/2023

फलदान–तिलक हुआ था। फलदान तिलक में मैं, पंकज कुमार, नीतीश कुमार, मेरा लड़का फलदान में गये थे। हमलोगों को फलदान में धोती नहीं चलता है। बाराती में जो लोग आये थे, उनको कपड़ा–लत्ता नहीं दिया था केवल लड़का एवं समधी को कपड़ा दिया था। कंडिका–16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एवं 29 में बताया है कि शादी कराने वाले पंडितजी रामजी झा के लड़का थे। पंचायती लड़का वाले के गांव, ग्राम–शंकरपुर में हुई थी। शादी के कितने दिनों के बाद पंचायती हुई थी–मुझे याद नहीं है। पंचायती में लड़का वाले के गांव में बालेश्वर साह एवं अन्य लोग थे, जिनका नाम मैं नहीं जानता हूं। मुंहजवानी पंचायती हुई थी। पंचायती के समय मेरी बेटी अपने ससुराल में ही थी। पंचायती का दिन, महीना, तारीख मुझे याद नहीं है। पंचायती के दिन मेरी बेटी के कलेजा, दाहिना एवं बायां पैर में चोट का निशान था। उस दिन मैं डॉक्टर के यहां मेरी बेटी को नहीं दिखाया था। मेरी बेटी को महिला थाना विदागरी कराकर उसके ससुराल भेज दिया था, उसके करीब एक महीना के अंदर मेरी बेटी बीमार हुई थी। महिला था जो मेरी बेटी को उसके ससुराल भेजा था, उसका कागज मेरे पास है। महिला थाना वर्ष 2024 में मेरी बेटी को विदा कराकर उसके ससुराल भेजी थी। मेरी बेटी लड़का वाला के यहां करीब 15–20 दिनों तक बीमार रही थी। वहां से मेरी बेटी को गणपति अस्पताल में भर्त्ती कराया गया था उसके बाद लड़का उसे छोड़कर चला गया था। मेरी बेटी को गणपति अस्पताल में से एन0एम0सी0एच0 पटना ले गये तथा उसके बाद पटना एम्स अस्पताल ले गये। मेरी बेटी 21 दिनों के बाद मर गयी थी। मेरी बेटी को कोई बीमारी नहीं था। डॉक्टर बोला कि इसको क्या–क्या सुई दिला दिया है, जिससे इसके पूरे शरीर में पानी हो गया है। पटना से मैं मेरी बेटी को उसके ससुराल ग्राम–शंकरपुर ले गया। मेरी बेटी का दाह–संस्कार उसके ससुराल में नहीं हुआ था, बल्कि मेरे घर ग्राम–अलीपुर बनबीरा में हुआ था। जहां–जहां मेरी बेटी का डॉक्टरी जांच हुआ था, वह सब का कागज मेरे पास है। मुझे दो बेटी थी, जिसमें बेटी की मृत्यु हो गयी है। मैंने दूसरी बेटी की शादी लालगंज के नजदीक ग्राम–सहथा में किया है, जिसमें मैंने कोई दान–दहेज नहीं दिया था।

(11) **अभियोजन साक्षी सं0–03 सुलेखा देवी (19.12.2024)** अपने साक्ष्य में कही है कि मृतक पीड़िता मेरी बेटी थी। मेरी बेटी की शादी हिन्दू रीति–रिवाज से नवीनानंद

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st
Vaishali at Hajipur
Present : Manoj Kumar Tiwari, D. & A.S.J.-I[st], Vaishali.
Date of Judgment:-03.08.2026
S.Tr. No.- 470/2024+597/2024
Case No. :- Mahila P.S. Case No.-21/2023

के साथ हुआ था। शादी के बाद ससुराल गयी थी। 06 महीना ठीक से रखा, उसके बाद नवीनानंद मृतक पीड़िता के साथ गलत व्यवहार करता था तथा अप्राकृतिक संबंध बनाता था और उसके साथ दीपू जो देवर है तथा रामदयाल साह, जिनकी देवी, सोनाली कुमारी और निशा कुमारी सब मिलकर मारपीट करता था और गलत दवाई खिलाता था। इस बात की जानकारी मुझे मेरी बेटी से मिली। घटना दहेज के लिए एवं गाड़ी के लिए सब मिलकर करते थे। मैं अपनी बेटी के ससुराल गयी, वहां मुझे मेरी बेटी से भेंट हुआ तो वह बतायी कि उसके साथ उसके ससुराल वालों द्वारा लगातार मारपीट किया जाता था, उसके बाद बेटी को लाये, महिला थाना के स्तर से पुनः विदा कराके नवीनानंद एवं रामदयाल ले गये, उसके बाद सभी मिलकर दवाई और इंजेक्शन लगवाता था। उसके बाद मेरी बेटी का पूरा देह फूल गया, उसके गणपति अस्पताल हाजीपुर में भर्त्ती कराया गया, उसके बाद मेरी बेटी ने फोन किया कि भर्त्ती करके नवीनानंद भाग गया, तब वहां माला देवी, सोनम कुमारी, लगन शर्मा हॉस्पिटल पहुंचे, फिर वहां से नालन्दा हॉस्पिटल में रेफर किया गया, वहां 14 दिन रही, वहां मेरी बेटी बयान दी कि जिसमें मुझे एवं मेरे परिवार वालों को बतायी कि उसको जहरीला सुई दिया गया, बयान का सबूत मेरे पास हैं, जिसे मैं दाखिल कर सकती हूं, उसके बाद मेरी बेटी का इलाज एम्स पटना में हुआ, वहां 05 दिन इलाज चला, उसके बाद मर गयी। कुल मिलाकर उसका 21 दिन इलाज चला था। इस घटना को मैं, देवेन्द्र साह, माला देवी, ललन शर्मा, सोनम कुमारी सब बात को जानते थे। ये सारी बातें मैं पुलिस को बतायी थी, सब को पहचानते हैं। प्रति–परीक्षण की कंडिका–02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14 एवं 15 में इस साक्षी ने बतायी है कि शंकरपुर मुझे जाने का मौका मिला था, बेटी से मिलने नहीं दिया। एक बार विदागरी कराने हम गये थे। शंकरपुर में मुखिया सरपंच के यहां गये थे, मुखिया सरपंच के साथ गये थे, मुदालह के दरवाजे पर गये थे, उस दिन पंचायती हुई थी, पंचायती में 5–6 लोग गये थे, मेरे गांव का लगन शर्मा, पंकज और बहुत आदमी गये थे, यह तो पंचायती हुई थी, इसका दिन, महीना नहीं बता सकते हैं। कागज पर पंचायती तैयार हुआ था। पंचायती के कागज पर मैंने दस्तखत नहीं किया था, यह जो पंचायती मरने के पहले हुआ था। पंचायती के 02 महीना बाद मेरी लड़की मरी थी, मेरी लड़की शंकरपुर में मरी, इलाज कहीं नहीं हुआ, पुनः कहती है कि गणपति हॉस्पिटल में इलाज ले गया था। नगीना नंद कुमार उसको इलाज के

Manoj
03.08.2026

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ★ वैशाली, हाजीपुर ★ सत्यमेव जयते

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st
Vaishali at Hajipur
Present : Manoj Kumar Tiwari, D. & A.S.J.-Ist, Vaishali.
Date of Judgment:-03.08.2026
S.Tr. No.- 470/2024+597/2024
Case No. :- Mahila P.S. Case No.-21/2023

लिए ले गया था। गणपति हॉस्पिटल में मैं, मेरे पति भी ये थे, वहां एक दिन रात में रहे, उसके बाद नालन्दा मेडिकल हॉस्पिटल में 15 दिन भर्त्ती रही, फिर मेरी बेटी को एम्स में इलाज हेतु हुई। जहां–जहां इलाज हुआ, वहां–वहां का पूर्जा मेरे पास हैं। कुल एक महीना तक मेरी बेटी बीमार रही, सभी पर्चा को मैंने दरोगीज को दिया था। महुआ थाना में इलाज का पर्ची दिया था। महिला थाना से नगीना नंद कुमार, रामदयाल साह मेरी बेटी को ले गया था, महिला थाना से कागज पर लिखवाकर ले गया था, जिस दिन महिला थाना से ले गया उस दिन मैं भी उपस्थित थी। प्रताड़ना का दिन, महीना, तारीख याद नहीं है, मेरी बेटी को कोई बच्चा नहीं था। देवेन्द्र साह का बयान महिला थाना में हुआ था। दरोगाजी के यहां मेरा बयान हुआ था, मेरी बच्ची जहां पर मरी थी, वहीं मेरा बयान हुआ था। सरकारी नौकरी में नवीनानंद नहीं है, बल्कि खाद के दुकान में काम करता है। दहेज मांगने की बात एवं 05 लाख नकद मांगने की बात के संबंध में रिकॉडिंग हैं, यह घर में रखा हुआ है।

(12) **अभियोजन साक्षी सं0–04 कुमारी इन्दु सिन्हा (07.01.2025)** अपने साक्ष्य में कही है कि दिनांक–10.07.2023 को मैं महिला थाना हाजीपुर में स0अ0नि0 के पद पर पदस्थापित थी। इस तिथि को पीड़िता का फर्दबयान, जिसके आधार पर थाना कांड सं0–21/2023 अंकित हुआ, जिसके अनुसंधान का भार मुझे Addl. S.H.O. Mahila P.S. Hajipur कुमारी रीना के आदेशानुसार प्राप्त हुआ। फर्दबयान पर पृष्ठांकन Addl. S.H.O. Mahila P.S. Hajipur कुमारी रीना की लिखावट में है, जिस पर उनका हस्ताक्षर भी है, जिसे मैं पहचानती हूं, जिस पृष्ठांकन को प्रदर्श–पी0–03/पी0डब्लू0–04 अंकित किया जाता है। इस कांड के अनुसंधान का भार मैंने दिनांक–13.07.2023 को ग्रहण किया था। अनुसंधान के क्रम में मैंने वादी का पुनः बयान एन0एम0सी0एच0 पटना जाकर लिया था। वादिनी ने अपने पुनः बयान में घटना का पूर्ण समर्थन किया था। उसके बाद साक्षी देवेन्द्र साह, सुलेखा देवी, मनीष कुमार का बयान लिया एवं कांड दैनिकी के पारा–06 से 08 तक अंकित किया। इन सभी साक्षियों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया था। मैं दिनांक–15.07.2023 को घटनास्थल पर गयी और घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल ग्राम–शंकरपुर, थाना–महुआ में स्थित अभियुक्त का घर है, जिसका दरवाजा पूरब की ओर है और एक तल्ला मकान है। घटनास्थल के उत्तर

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st
Vaishali at Hajipur
Present : Manoj Kumar Tiwari, D. & A.S.J.-Ist, Vaishali.
Date of Judgment:-03.08.2026
S.Tr. No.- 470/2024+597/2024
Case No. :- Mahila P.S. Case No.-21/2023

में विश्वनाथ साह का एक तल्ला मकान, दक्षिण में राजकुमार साह का एक तल्ला मकान, पूरब में ढ़लाई किया हुआ ग्रामीण सड़क एवं पश्चिम में अभियुक्त रामदयाल का परती जमीन स्थित है। इसके बाद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी किये, परन्तु अभियुक्तगण फरार पाये गये। दिनांक–07.08.2023 को इस कांड का फर्दबयान थाना फुलवारीशरीफ, जिला–पटना से प्राप्त, जिसका अवलोकन किया। अवलोकन से ज्ञात हुआ कि इस कांड की पीड़िता की मृत्यु दिनांक–21.07.2023 को एम्स पटना में हो चुका है। पीड़िता का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, डेड बॉडी का चालान, देवेन्द्र साह के फर्दबयान का प्रति प्राप्त हुआ, जिसे मैंने मूल डायरी के साथ संलग्न किया। दिनांक–13.08.2023 को मेरा स्थानान्तरण जिलादेश संख्या–1274 / 2023 के द्वारा महिला थाना हाजीपुर से करतांहा थाना हो गया। अग्रिम अनुसंधान हेतु दैनिकी से संबंधित सभी कागजातों के साथ थानाध्यक्ष महिला थाना महोदय को सौंपा। कांड की औपचारिक प्राथमिकी पु0अ0नि0–सह–अपर थानाध्यक्ष महिला थाना, हाजीपुर कुमारी रीना के लिखावट में है, जिन पर उनका हस्ताक्षर भी है, जिसे मैं पहचानती हूं, जिसे प्रदर्श–पी0–04 / पी0डब्लू0–04 अंकित किया जाता है। प्रति–परीक्षण की कंडिका–03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13 एवं 14 में इस साक्षी ने बतायी है कि इस कांड का अनुसंधान मैंने दिनांक–14.07.2023 से प्रारंभ किया था। अनुसंधन मैंने घटना के एक दिन बाद शुरू किया था। अनुसंधान के कम में मैंने तीन साक्षियों का बयान लिया था, जिसमें मृतका के पिता–देवेन्द्र साह, मृतका की मां–सुलेखा देवी, मृतका का भाई मनीष कुमार शामिल हैं। इन तीनों के अलावे अपने अनुसंधान के कम में मैंन किसी का बयान नहीं लिया था। दिनांक–15.07.2023 को मैं घटनास्थल पर गयी थी। घटनास्थल के अगल–बगल के लोग साक्ष्य देने से इंकार किये, यह बात मैं कांड दैनिकी में नहीं लिखी हूं। घटनास्थल की चौहद्दी में स्थित घर के लोगों जिनमें विश्वनाथ साह एवं राजकुमार साह का मकान है का बयान नहीं ली, क्योंकि वे लोग गेट नहीं खोले थे, परन्तु यह बात मैं कांड दैनिकी में नहीं लिखी हूं। मृतका का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट मुझे थाना–फुलवारीशरीफ, जिला–पटना से प्राप्त हुआ था, जिसका अवलोकन मैंने किया था। मृतका की मृत्यु एम्स, पटना में हुआ था। मैं यह पता नहीं लगायी थी कि–मृतका कितनों दिनों तक एम्स, पटना में भर्त्ती रही थी तथा यह बात मैं केस डायरी में नहीं लिखी हूं। मृतका का इलाज कर रहे एम्स के डॉक्टर साहेब से मैं पूछताछ नहीं की थी। मृतका का इलाज गणपति अस्पताल

Manoj 03.08.2026

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम वैशाली, हाजीपुर सत्यमेव जयते

हाजीपुर में हुआ था, उसके बाद एन0एम0सी0एच0, पटना में हुआ था तथा वहां से रेफर होने के बाद एम्स, पटना में हुआ है तथा एम्स, पटना में ही मृतका की मृत्यु इलाज के कम में हो गयी थी। मृतका का इलाज तीनों अस्पताल मिलाकर करीब 09–10 दिन हुआ था। मैं गणपति अस्पताल हाजीपुर, जो मेरे थाना से करीब 02 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, के डॉक्टर साहेब से पूछताछ नहीं की थी कि मृतका को कौन सी बीमारी थी और क्या इलाज हुआ है। एन0एम0सी0एच0, पटना मैं गयी थी। एन0एम0सी0एच0, पटना के डॉक्टर साहेब से मैं पूछताछ नहीं की थी कि मृतका को कौन सी बीमारी है और क्या इलाज हुआ था। कंडिका–15, 16, 17 एवं 18 में बताया है कि प्रश्न–क्या आपने एन0एम0सी0एच0, पटना के डॉक्टर से क्या पूछताछ किया कि पीड़िता का किस चीज का इलाज हो रहा है ? उत्तर– जो वार्ड में कर्मचारी थे, उनसे पूछने पर वे बताये कि डॉक्टर साहेब राउंड में है, जब आयेंगे तब बतायेंगे–यह बात मैंने केस डायरी में नहीं लिखी थी। मैं करीब एक महीने तक अनुसंधान की थी, परन्तु मैं मृतका के इलाज का पूर्जा अस्पताल से नहीं ली थी, क्योंकि मैं बीमार थी, लेकिन डियूटी कर रही थी। मृतका पीड़िता का फर्दबयान आर0 के0 सिंह, जो एन0एम0सी0एच0, पटना में पुलिस पदाधिकारी है, के द्वारा दर्ज किया गया था, लेकिन अपने अनुसंधान में उनसे पूछताछ नहीं की थी कि फर्दबयान उनके द्वारा रिकॉर्ड किया गया था कि नहीं और मृतका बोलने लायक थी कि नहीं। मेरे अनुसंधान के कम में यह आया है कि अभियुक्तगण मृतका को सुई दवाई गांव का ही एक कंपाउडर करता था, जो बयान में आया है–उनसे संपर्क करने का कोशिश किया, परन्तु संपर्क नहीं हो पाया।

(13) **अभियोजन साक्षी सं0–05 प्रीति कुमारी (09.01.2025)** अपने साक्ष्य में कही है कि दिनांक–25.08.2023 को मैं पु0अ0नि0 के पद पर महिला थाना में पदस्थापित थी। महिला थाना कांड सं0–21/2023 के अनुसंधान का भार थानाध्यक्ष महोदय के आदेश से ग्रहण की थी। मैं इस वाद की द्वितीयक अनुसंधानकर्ता हूं। इस वाद के अनुसंधान के कम में पूर्व के कांड दैनिकी का मैंने अवलोकन किया। तत्पश्चात् इस कांड की कार्रवाई प्रारंभ किया। पीड़िता के फर्दबयान का अवलोकन किया। अनुसंधान के कम में महुआ, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का पर्यवेक्षण टिप्पणी प्राप्त किया। इस कांड में नामजद अभियुक्तों के नाम पता सत्यापन व आपराधिक

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st
Vaishali at Hajipur
Present : Manoj Kumar Tiwari, D. & A.S.J.-Ist, Vaishali.
Date of Judgment:-03.08.2026
S.Tr. No.- 470/2024+597/2024
Case No. :- Mahila P.S. Case No.-21/2023

इतिहास की जानकारी के लिए महुआ थाना को आवेदन दिया। दिनांक–09.09.2023 को अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी किया। अनुसंधान के कम में दिनांक–11.09.2023 को 10:45 बजे पटना एम्स से पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्रस्थान किया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट वहां नहीं मिला और वहां से बताया गया कि फुलवारीशरीफ थाना के पुलिस कर्मी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करा दिया गया है। उसके बाद मैं फुलवारीशरीफ थाना गयी तथा थानाध्यक्ष, फुलवारीशरीफ को लिखित आवेदन देते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की। अनुसंधान के कम में पुलिस अधीक्षक महोदय का प्रतिवेदन–02 प्राप्त की। अनुसंधान के कम में दिनांक–04.10.2023 को पीड़िता का चिकित्सकीय जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए चिकित्सक अधीक्षक महोदय एम्स, पटना को आवेदन दिया। दिनांक–11.10.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदय के प्रतिवेदन–02 के आदेशानुसार मूल धाराओं के अतिरिक्त धारा–304बी0 भा0दं0वि0 जोड़ने हतु माननीय न्यायालय को आवेदन दिया। अनुसंधान के कम में पूरक कांड दैनिकी–01 में अभियुक्त दीपू कुमार, सिजानकी देवी और रामदयाल साह के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी किया। दिनांक–19.12.2023 को मृतका पीड़िता का जख्म जांच रिपोर्ट प्राप्त किया। अनुसंधान के कम में अभियुक्तों के विरूद्ध छापामारी किया। अनुसंधान के कम में मृतका पीड़िता का एम्स का supplementary पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त किया। अनुसंधान के कम में पुलिस अधीक्षक महोदय का प्रतिवेदन–03 सह–अंतिम आदेश प्राप्त किया। घटना को सही व सत्य पाकर अंतिम रिपोर्ट संख्या–35/2023 नवीनानंद कुमार उर्फ धनपत कुमार, सोनाली कुमारी और निशा कुमारी के विरूद्ध भा0दं0वि0 की धारा–341, 323, 324, 307, 377, 498ए, 304बी, 504, 506/34 समर्पित किया एवं शेष बचे अभियुक्त सिजानकी देवी, रामदयाल साह, दीपू कुमार के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखा था। घटना को सही व सत्य पाकर शेष बचे अभियुक्त सिजानकी देवी, रामदयाल साह, दीपू कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र सं0–19/2024, धारा–341, 323, 324, 307, 377, 498ए, 304बी, 504, 506/34 समर्पित किया। दोनों आरोप–पत्र मेरे लिखावट व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं पहचानती हूं, आरोप पत्र संख्या–35/2023 एवं आरोप–पत्र सं0–19/2024 को कमशः पी0–05/पी0डब्लू0–05 एवं प्रदर्श–पी0–06/पी0डब्लू0–05 अंकित किया जाता है। प्रति–परीक्षण की कंडिका–04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 एवं 14 में इस साक्षी ने बतायी है कि घटना के करीब एक महीना बाद मैं इस कांड

Manoj 03-08-2026

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम वैशाली, हाजीपुर

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st
Vaishali at Hajipur
Present : Manoj Kumar Tiwari, D. & A.S.J.-Ist, Vaishali.
Date of Judgment:-03.08.2026
S.Tr. No.- 470/2024+597/2024
Case No. :- Mahila P.S. Case No.-21/2023

की अनुसंधानकर्ता बनी थी। पूर्व के अनुसंधानकर्ता के द्वारा किये गये अनुसंधान का मैं अवलोकन की एवं उनके अनुसंधान से मैं संतुष्ट थी। पूर्व के अनुसंधानकर्ता के द्वारा तीन साक्षियों का बयान लिया गया था। मैंने किसी भी साक्षी का बयान नहीं लिया था। दोनों आरोप–पत्र में सिर्फ तीन साक्षियों का ही बयान हुआ था। घटनास्थल ग्राम–शंकरपुर गयी थी। मैं घटनास्थल सिर्फ छापामारी के लिए गयी थी, अनुसंधान के लिए नहीं गयी थी। मेरे द्वारा किये गये पूरे अनुसंधान में ग्राम–शंकरपुर के लोगों से पूछताछ करने का प्रयास की थी, परन्तु कोई बयान नहीं दिया, परन्तु इसका उल्लेख कांड दैनिकी में नहीं की हूं। यह कहना गलता होगा कि "मैं पूरे अनुसंधान के कम में ग्राम–शंकरपुर नहीं गयी थी और न ही लोगों से पूछताछ करने का प्रयास की थी।" घटनास्थल पर गयी तो अभियुक्तों के घर में ताला बंद था। अभिलेख पर मृतका का मृत्यु समीक्षा का कार्बन कॉपी उपलब्ध है, जो मैंने प्राप्त नहीं किया है, जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि मृतका के शरीर पर अंदरूनी चोट का जिक हैं, बाहरी चोट का उल्लेख नहीं है। यह मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट स0अ0नि0, फुलवारीशरीफ चंद्रभूषण सिंह के द्वारा बनाया पटना एम्स में बनाया गया है। मृतका का पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैं ही अस्पताल से प्राप्त की थी। मैंने मृतका का supplementary पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त किया। मृतका पांच दिन करीब पटना एम्स में भर्त्ती रही और उसकी मृत्यु होने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद दोनों का संयुक्त ओपिनियन प्राप्त करने हेतु supplementary पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त किया। कंडिका–15, 16, 17, 18, 19, 20 एवं 21 में बतायी है कि प्रथम पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं supplementary पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मुझे डॉक्टर से बात करने का मौका मिला, जिसमें डॉक्टर साहेब के द्वारा बताया गया कि मृतका के मृत्यु का कारण एनिमिया, खून न बनना, खाना न पचना आदि हैं। जब मैंने एम्स के डॉक्टर साहेब से जख्म रिपोर्ट मांगा तो उन्होंने मुझे treatment summary दिनांक–26.10.2023 दिये, जो मैंने केस डायरी के साथ संलग्न है, जिसको बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता प्रदर्श अंकित करने हेतु निवेदन किये, परन्तु अभियोजन के विद्वान का विरोध है कि यह गवाह अभियोजन साक्ष्य हेतु प्रस्तुत हुई है। अतः वह प्रदर्श अंकित करने हेतु विरोध करते हैं, परन्तु मात्र अवलोकन हेतु अभियोजन के विरोध के साथ इसे प्रदर्श–X अंकित किया जाता है। मैंने अपने अनुसंधान के कम में यह डॉक्टर से पूछताछ किया था कि मृतका की मृत्यु कैसे हुई, तब डॉक्टर द्वारा मुझे treatment summary एवं postmortem report

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st
Vaishali at Hajipur
Present : Manoj Kumar Tiwari, D. & A.S.J.-Ist, Vaishali.
Date of Judgment:-03.08.2026
S.Tr. No.- 470/2024+597/2024
Case No. :- Mahila P.S. Case No.-21/2023

तथा supplementary postmortem report दिया गया। पूरक कांड दैनिकी के पारा–117 में जो भी डॉक्टर साहेब का opinion है as it is लिखी हूं। मृतका की मृत्यु का opinion कांड दैनिकी के पारा–117 में दिया गया है, वह opinion डॉक्टर साहेब का है, जो पटना एम्स के डॉक्टर साहेब के द्वारा दिया गया है और वह जो भी बता बताये है, वह कांड दैनिकी के पारा–117 में अंकित है। मृतका का इलाज पटना एम्स में करीब 05 दिनों तक चला था। उसके पूर्व मृतका का इलाज गणपति अस्पताल हाजीपुर एवं एन0एम0सी0एच0, पटना में चला था। पूरे अनुसंधान के कम में मुझे मृतका के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के बारे में गवाहों के द्वारा बताया गया कोई documentary evidence नहीं मिला था।

(14) **अभियोजन साक्षी सं0–06 डॉक्टर तोसहल दिगम्बर वानखडे (18.01.2025)** अपने साक्ष्य में कहा है कि : On 22-07-2023, I was posted as Associate Professor in Department of Forensic Medicine & Toxicology, AIIMS, Patna. On such date I conducted postmortem alongwith Dr. Abhishek Parashar, Senior Resident Department of Forensic Medicine & Toxicology, AIIMS, Patna of deceased victim D/o- Devendra Sah, Age about 20 years old, Female, Length-146 cm, Weight-47 Kg, Address- Village- Allipur, P.O.- Bakhari Subain, P.S.-Rajapakar, District- Vaishali, Identified body. Cloths : body covered with read yellow colour blanket, pint coloured kurta and orange coloured salwar. Deceased wearing adult dipper, orange coloured thread along neck, yellow metallic top on left ala of nose. Body kept in cold chamber overnight. Average built, Rigor mortis present all over the body. Postmortem hypostasis present over back in dependent area, except pressure area and fixed in nature. Both cornea hazy & moist. Nails of finger & toes icteric. Whole body icteric & oedemaeous. Abdomens slightly distended. Scalp & skull-intact. Vertebra- no abnormality detected. Membraneintact. Brain & spinal cord- brain weight 1050 grams. Pale on dissection. Spinal cord not opened. Wall, ribs, cartilages- Intact and no abnormality detected. Pleura- Pleura on left side adhered to chest wall. Plural cavity filled with 750 ml of serous coloured fluid on each side. Larynx & trachea- intach and no abnormality detected. Lungs- weight right 400 gm, left 350 gm. Both lungs oedematous & pale with fibrosis seen at places on dissection with frothy discharge from lower lobe of right lungs. Pericardium :-

intact, 100 ml of serous coloured fluid seen in pericardial cavity. Heart :- weight 260 gm, all chambers empty, no abnormality detected. Large vessels :- NO abnormality detected. Abdomen :- Wall-intact, no abnormality detected. Peritoneum :- Peritoneal cavity filled with 2000 ml of serous coloured fluid. Mouth, oesophagus and condition of teeth :- No abnormality detected. Stomach & its contents :- contains 100 ml of brown coloured fluid. Mucosa- No abnormality detected. Small intestine & its contents :- Contains chyme & gases. Large intestine & its contents :- Contains faecal matters & gases. Liver :- weight 1390 gm, splenomegaly seen. Kidneys (right & left) – weight : Right-130 gm, Left-120 gm. Both kidneys – oedematous, pale & icteric. Bladder :- Empty. Orgain of generation, external & internal- No abnomality detected. Non grabid uterous. Muscles & Bones :- injury- Nil, Disease/Deformity – Nil, Fracture- Nil, Dislocation- Nil

Manoj 03-08-2026

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ★ वैशाली, हाजीपुर ★

Details description of the injuries, burn and ligature marks, if any :- Mention anti or postmortem and nature of probable weapon used. Following antemortem injuries were noted :-

(i) No external injury appreciate at the time of postmortem examination.

(ii)As per alleged history patient has undergone treatment for past one month and there is history of assault, police officials are requested to provide treatment record with injury report from initial phase of treatment to ascertain the chain of events of external injuries and co-relate with cause of death.

Opinion of Medical Officer as to cause of death, time since death, any additional relevant information :-

(i) Tissue have been preserved and sent to Department of Pathology, AIIMS, Patna for Histopathological opinion.

(ii) Death is due to septiscmic shock, howsoever histopathology reports of preserved tissue and medical records by police officials are awaited to finalize cause of death.

(iii) Time elapsed since death :- 24 ± 6 house from the time of postmortem examination.

Supplementary opinion related to Postmortem No.-178/2023, dated : 22-07-2023 :-

Supplementary opinion related Postmortem No. 178/2023 dated : 22-07-2023 is based on :-

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st
Vaishali at Hajipur
Present : Manoj Kumar Tiwari, D. & A.S.J.-I[st], Vaishali.
Date of Judgment:-03.08.2026
S.Tr. No.- 470/2024+597/2024
Case No. :- Mahila P.S. Case No.-21/2023

(i) Postmortem report No. 178/2023, dated : 22-07-2023 of Department of F.M.T. AIIMS, Patna.

(ii) Treatment summary of the deceased Victim.

(iii) Histopathology report No. PM-20/2023 from Department of Pathology, AIIMS, Patna.

(iv) Police requisition.

Relevant findings in Treatment summary of the deceased Victim CR No. 109112301581711, Dept. Of General Medicine, AIIMS, Patna provided by Police was as follows :-

(i) Patient reported to the Dept. Of Emergency Medicine, AIIMS, Patna with previous indoor treatment record from NMCH, Patna.

(ii) Patient has history of fever since 1 1/2 months.

(iii) On examination, patient had distended abdomen with pallor and bilateral pedal, edema, pitting in type noted.

(iv) Shifting dullness in abdomen was present.

(v) CECT of addomen revealed, ascites with diffused mesenteric haziness, multiple enlarged mesenteric and retroperitoneal lymph node with conglomerated necrotic lymph nodes along right iliac vessels.

(vi) Patient was already advised on Anti-Tuberculosis Treatment based on above CECT findings.

(vii) At the time of Admission patients, haemoglobin level was 4.3g/dL, TLC was 8.14 thousand per mcl and CRP was 200 mg/L.

(ix) Patient had persistent febrile spikes and abdominal destension was increasing.

(x) Repeated diagnostic ascitic tap was done which revealed spontaneous bacterial peritonitis.

(xi) In spite of all relevant antibiotic given, patients condition worsen during hospital course with severe lactic acidosis and decreased output and went into cardiac arrest.

Opinion :- Based on the aforementioned facts it is to opine that the deceased died due to septicaemia with chronic inflammatory disease of lungs and hepatic inflammatory conditions along with severe anaemia (Natural). Postmortem and supplementary postmortem report, both have been prepared by me alongwith Dr. Abhishek Parashar are typed and under my signature and I identify the

signature of Dr. Abhishek Parashar on both the postmortem report, both the postmortem report are identified by the witness, which are marked as whole Ext. P7/P.W.-06 & Ext. P8/P.W.-06 respectively. Death of deceased may be caused due to infection.

प्रति–परीक्षण की कंडिका–26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 एवं 33 में इस साक्षी ने बताया है कि : Before issuing of postmortem report, I have not treated the deceased. Although, she has been treated in AIIMS, Patna as per Medical report submitted by the police. I have not found any external or internal injury on the body of deceased at the time of conducting postmortem. As per medical report, patient has history of fever since 1 1/2 months. Supplementary postmortem report was given for want of histopathological examination report and treatment summary of the deceased. Treatment summary means treatment was given to the deceased. According to postmortem report, deceased died due to Septicaemia with chronic inflammatory disease of lungs and hepatic inflammatory conditions along with severe anaemic (natural). These deceased may be caused due to virus infection or bacterial infection. Generally, bacteria can be found anywhere in environment. During postmortem, I have not found any sign of unnatural sexual assault on the body of deceased. As per treatment report, the hemoglobin level of deceased was very low. The postmortem report, prepared by me, suggests that deceased died due to illness.

Manoj 03-08-2026

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ★ वैशाली, हाजीपुर ★ सत्यमेव जयते

(15) **अभियोजन साक्षी सं0–07 डॉक्टर अविनाश सिंह (09.07.2026)** अपने साक्ष्य में कहा है कि : On 22-07-2023 I was posted as Assistant Professor in department of Pathology in AIIMS Patna, On the same day I have received Specimen of Deceased Nisha Kumari, which has been refer by Dr. Abhishek Parasar, of Department of FMT, AIIMS, vide PM no.-178/2023, Histopathology no : PM-20/2023

Specimen submitted : Bottle no.1: Part of right side of cerebrum, half of each kidney, parts from both lobes of liver, parts from each lobe of both lungs.

Gross Description : Bottle no : 1

Two parts of cerebrum and half part of both kidney and two part of liver from both lobe and one part of spleen and five part of both lung from each lobes.

One part of cerebrum : Weight 75 gms and measureing 7X6X3 cm.

Second part of cerebrum : Weight 52 gms and measuring 7X4.5X3 cm.

Both outer surface is unremarkable. Cut surface no area of haemorrhage noted.

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st
Vaishali at Hajipur
Present : Manoj Kumar Tiwari, D. & A.S.J.-Ist, Vaishali.
Date of Judgment:-03.08.2026
S.Tr. No.- 470/2024+597/2024
Case No. :- Mahila P.S. Case No.-21/2023

Half of one kidney : weight 75 gms and measuring 9.5X4.8X2.5 cm.

Another half part of kidney : Weight 45 gms. and measuring 8.5X4.5X1 cm.

No haemorrhage seen.

One part of liver : Weight 34 gms and measuring 6.5X5.6X1.2 cm.

Another part of Liver : Weight 14 gms and measuring 6.5X2.3X1.7cm.

On cut : Unremarkable.

Part of spleen : Weight 35 gms and measuring 7X33.8X2.2 cm.

Five parts of lung - Weight 64 gms, measuring 9.8X5.5X2 cm.

Another part of lung - Weight 29 gms, measuring 8X3.5X1.8 cm.

Another part of lung - Weight 25 gms, measuring 7X3.5X1 cm.

Another part of lung - Weight 15 gms, measuring 4.5X3.5X1 cm.

Smallest part of lung - Weight 7 gms, measuring 5X3.2X1.3 cm.

On cut is unremarkable.

Microscopic examination :

Single container received labelled as : PM-178//2023

Both the parts of Cerebrum : Unremarkable, no hematoma/ischemia noted.

Part of Liver : Mild disarray of labular architecture with predominantly unremarkable Hepatocyte. Few of which show autolytic changes.

Portal triad : Shows mild to moderate portal triaditis.

No fibrosis noted;

Part of both kidney : Predominately unremarkable with autolytic changes;

Mild thickening of blood vessels noted;

Parts of spleen. Predominantly is unremarkable and shows autolytic changes.

Parts of lungs : Partially autolysed. Congested alveolar spaces.

Interstitium is expanded by chronic inflammatory infiltrate comprising of lymphocytes and plasma cells. Focal area of intra – alveolar haemorrhage seen.

This histopathology report was prepared by me and bears my signature and also senior resident also signed present Dr. Satyajeet, which has been identified by me marks as P.W.-07/Exi.-9. इस साक्षी ने प्रति–परीक्षण में कथन किया है कि : I have mentions received specimen of deceased Nisha Kumari, which has been refer by Dr. Abhishek Parasar, of Department of FMT, meaning of specimen is internal organs received of deceased. हिस्टोपोथेजिकल परीक्षण मतलब जो सूक्ष्मदर्शी बॉडी के अंदर में ऑरगन के टिसु में क्या अंतर दिख रहा है। हिस्टोपोथेजिकल परीक्षण में केवल बैक्टिरियके प्रभाव की ही जॉच नहीं होती है बल्कि टिसु की भी जॉच हेतु है, हिस्टोपोथेजिकल परीक्षण में बहुत सारी बीमारियों का पता चलता है, जिसमें लंग्स में इन्फेक्शन, लंग्स में किसी भी प्रकार की बीमारी है, उसका भी पता चलता है। परीक्षण के बाद

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st
Vaishali at Hajipur
Present : Manoj Kumar Tiwari, D. & A.S.J.-I[st], Vaishali.
Date of Judgment:-03.08.2026
S.Tr. No.- 470/2024+597/2024
Case No. :- Mahila P.S. Case No.-21/2023

मेरा मंतव्य यह है कि जो भी मेरा निष्कर्ष अंकित किया गया है वह लंबी बीमारी से भी हो सकता है। इसके अलावा अन्य कोई कारण नहीं हो सकता है। मेरे निष्कर्ष में ऐसा नहीं लिखा है कि कोई इन्जेक्शन देने से उसके प्रभाव से धीरे–धीरे मृतका की मृत्यु हुई थी। मैंने अपने रिपोर्ट में लीवर, किडनी एवं स्पलीन का जॉच किया था। न्यायालय प्रश्न : केस में यह आरोप है कि जो मृतका है उसको पूर्व में ऐसा कोई इन्जेक्शन दिया गया था, जिससे कि धीरे–धीरे उसकी मृत्यु संभावित थी क्या ऐसा कोई कारण आपके द्वारा किये गये जॉच से पता चलना संभव है ?

उत्तर– नहीं, मेरे द्वारा किये गये जॉच में ऐसा कोई भी निष्कर्ष संभव नहीं है, ऐसे तथ्य की जॉच के लिए टॉक्सफिलॉजी में फॉरेन्सिक जॉच होनी आवश्यक हैं।

(16) उभय पक्ष का बहस सुना।

विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि मृतका को दहेज न लाने के कारण लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा और उसे जानबूझकर भूखा रखा जाता था तथा कई–कई दिनों तक कमरे में बंद करके भी रखा जाता था, जिससे मृतका काफी कमजोर हो गयी एवं इस कारण उसे अनेक बीमारियां भी हो गयी तथा शारीरिक रूप से कमजोर हो गयी, उसके शरीर में रक्त की काफी कमी भी हो गयी और धीरे–धीरे मृतका अपने मृत्यु की तरफ अग्रसर हो गयी, जिसे तमाम उपचार के पश्चात् भी नहीं बचाया जा सका। अभियुक्तगण के इस कृत्य को न केवल पीड़िता–सह–मृतका ने अपने प्राथमिकी में स्पष्ट किया है, बल्कि अनुसंधान के दौरान धारा–161 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान में भी मृतका ने कही है कि उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा। मृतका के द्वारा कहे गये अनुसंधान की बातों को अन्य साक्षियों ने भी अपने परीक्षण के दौरान संपुष्ट किया है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह बात स्पष्ट रूप से आयी है कि मृतका काफी दिनों से बीमार थी, और मृतका की मृत्यु रक्त की अत्यंत कमी के कारण हुई है। अभियुक्तगण पूरे विचारण के दौरान एक भी दस्तावेज नहीं प्रस्तुत कर पाये हैं कि उन्होंने मृतका जो कि उनकी परिवार की बहू थी, का कहीं भी इलाज करवाया था या इलाज से संबंधित कोई दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया। अभियुक्तगण मृतका की हत्या पूरी योजना के साथ किये हैं और अभियोजन ने अपने साक्ष्य के माध्यम से उनकी इस योजना को न्यायालय के समक्ष उजागर किया है। अतः अभियुक्तगण दोष–सिद्ध किये जाने के अधिकारी हैं।

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st
Vaishali at Hajipur
Present : Manoj Kumar Tiwari, D. & A.S.J.-Ist, Vaishali.
Date of Judgment:-03.08.2026
S.Tr. No.- 470/2024+597/2024
Case No. :- Mahila P.S. Case No.-21/2023

(17) इसके विपरीत बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त को झूठा केस में फंसाया गया है। मृतका की मृत्यु खून की कमी एवं लंबी बीमारी के कारण हुआ है तथा इसी बीमारी का बहाना बनाकर मृतका द्वारा पैसा वसूलने के उद्देश्य से झूठा केस करवाया गया। पूरे साक्ष्य के दौरान यह बात स्पष्ट रूप से आयी है कि मृतका टी0बी0 की बीमारी से ग्रसित थी तथा अभियुक्तगण मृतका का इलाज भी करवाये थे। पूरे साक्ष्य के दौरान यह कहीं भी नहीं आया है कि मृतका को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। पूरे साक्ष्य में यह भी नहीं आया है कि मृतका को कोई रोग कारित करने के लिए अभियुक्तगण के द्वारा कोई इंजेक्शन दिया गया था। अतः जबकि मृतका से अभियुक्तगण को प्रति–परीक्षण का अवसर ही नहीं मिला तो केवल बनावटी प्राथमिकी एवं अनुसंधान के दौरान दिये गये बयान के आधार पर अभियुक्तगण को दोष–सिद्ध नहीं किया जा सकता। सभी साक्षियों के साक्ष्य में स्पष्ट रूप से विरोधाभास है। पीड़िता के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किये जाने का आरोप भी साबित नहीं हुआ है। यहां तक कि मेडिकल रिपोर्ट में भी यह बात स्पष्ट रूप से आयी है कि उन्होंने अप्राकृतिक दुष्कर्म का कोई भी तथ्य मृतका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आया है। अतः केवल साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर जो कि घटना के चक्षुदर्शी साक्षी भी नहीं हैं, अभियुक्तगण को अप्राकृतिक दुष्कर्म के लिए दोष–सिद्ध नहीं किया जाना चाहिए। अभियोजन अपने मामले को साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है, इसलिए अभियुक्तगण को दोष–मुक्त किया जाना चाहिए।

(18) अपने मामले को साबित करने का भार प्रथमतः अभियोजन पर ही होता है कि वह लगाये गये आरोप को संदेह से परे साबित करें। इस साबित करने के भार के अधीन अभियोजन का प्रथम दायित्व यह भी है कि वह न्यायालय के समक्ष सुसंगत एवं विधि द्वारा ग्राह्य तथ्यों को प्रस्तुत करें जिससे कि उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों पर विश्वास करके न्यायालय अभियुक्त की दोषिता के बारे में निर्णय ले सकें। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–5 कहती है कि किसी वाद या कार्यवाही में हर विवाद्यक तथ्य के औ ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें एतस्मिन– पश्चात् सुसंगत घोषित किया गया है, अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा, और किन्हीं अन्यों का नहीं। इस धारा से स्पष्ट है कि विधि प्रत्येक पक्ष पर यह दायित्व अधिरोपित करती है कि वह यह साबित करें कि उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st
Vaishali at Hajipur
Present : Manoj Kumar Tiwari, D. & A.S.J.-Ist, Vaishali.
Date of Judgment:-03.08.2026
S.Tr. No.- 470/2024+597/2024
Case No. :- Mahila P.S. Case No.-21/2023

साक्ष्य सुसंगत है। इस धारा के अनुक्रम में जब प्रश्नगत विचारण में प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य का मूल्यांकन करते हैं तो प्रथमतः मृतका द्वारा लिखा गया प्राथमिकी अभिलेख पर उपस्थित है, द्वितीयतः अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के कम में मृतका का लिया गया बयान जो कि केस डायरी के कंडिका–05 में अंकित किया गया है, न्यायालय के अवलोकन के लिए अभिलेख में संलग्न हैं। चूंकि मृतका की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी, अतः वह साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं हो सकी थी और इसी कारण भा0दं0वि0 की धारा–307 के स्थान पर अन्य धाराओं के साथ–साथ भा0दं0वि0 की धारा–304बी0 में आरोप–पत्र समर्पित किया गया था। मृतका द्वारा दर्ज कराये गये प्राथमिकी पर किये गये हस्ताक्षर को प्रदर्श भी अंकित कराया गया है तथा **हरेन्द्र राय बनाम स्टेट ऑफ बिहार** में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–74 के अधीन लोक दस्तावेज है। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के दौरान दंड प्रकिया संहिता की धारा–161 के अधीन पीड़िता का पुनः बयान भी अंकित किया गया था, अब मुख्य विधिक प्रश्न यह है कि यह बयान किस प्रकार से सुसंगत है और इस बयान का उपयोग साक्ष्य के विश्लेषण के दौरान किस प्रकार किया जा सकता है। इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–162 विधि प्रतिपादित करती है, (1) अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन, यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जायेगा, और न ऐसा कोई कथन या उसका कोई अभिलेख, चाहे वह पुलिस डायरी में हो या न हो, और न ऐसे कथन या अभिलेख का कोई भाग ऐसे किसी अपराध की, जो ऐसा कथन किये जाने के समय अन्वेषणाधीन था, किसी जांच या विचारण में, इसमें इसके पश्चात् यथाउपबंधित के सिवाय, किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जायेगा : परन्तु जब कोई ऐसा साक्षी, जिसका कथन उपर्युक्त रूप में लेखबद्ध कर लिया गया है, ऐसी जांच या विचारण में अभियोजन की ओर से बुलाया जाता है तब यदि उसके कथन का कोई भाग, सम्यक् रूप से साबित कर दिया गया है तो, अभियुक्त द्वारा और न्यायालय की अनुज्ञा से अभियोजन द्वारा उसका उपयोग ऐसे साक्षी का खंडन करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा–145 द्वारा उपबंधित रीति से किया जा सकता है और जब ऐसे कथन का कोई भाग इस प्रकार उपयोग में लाया जाता है तब उसका कोई

भाग ऐसे साक्षी की पुनःपरीक्षा में भी, किन्तु उसकी प्रतिपरीक्षा में निर्दिष्ट किसी बात का स्पष्टीकरण करने के प्रयोजन से ही, उपयोग में लाया जा सकता है। (2) इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जायेगा कि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा–32 के खंड (1) के उपबंधों के भीतर आने वाले किसी कथन को लागू होती है या उस अधिनियम की धारा–27 की उपधारा (2) के परंतुक के उपबंधों पर प्रभाव डालती है। स्पष्टीकरण – उपधारा– (1) में निर्दिष्ट कथन में किसी तथ्य या परिस्थिति के कथन का लोप, खंडन हो सकता है यदि वह उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, जिसमें ऐसा लोप किया गया है महत्वपूर्ण और अन्यथा संगत प्रतीत होता है और कोई लोप किसी विशिष्ट संदर्भ में खंडन है या नहीं यह तथ्य का प्रश्न होगा।

इस प्रकार दंड प्रकिया संहिता की धारा–162 का खंड (2), भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–32 के खंड (1) को लागू होने से मना नहीं करती है, इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–32 का खंड (1) ऐसे सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किये गये थे, जो मर गया है, या मिल नहीं सकता है, या जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है, या जिसकी हाजरी इतने विलंब या व्यय के बिना उपाप्त नहीं की जा सकती, जितना मामले के परिस्थितियों में न्यायालय को अयुक्ति–युक्त प्रतीत होता है, जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपने मृत के कारण के बारे में या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, तब उन मामलों में, जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो, ऐसे कथन सुसंगत हैं, चाहे उस व्यक्ति को, जिसने उन्हें किया है, उस समय जबकि वे किये गये थे, मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं और चाहे उस कार्यवाही की, जिसमें उस व्यक्ति के मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है, प्रकृति कैसी ही क्यों न हो। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **नीरज कुमार उर्फ नीरज यादव बनाम स्टेट ऑफ उत्तरप्रदेश 2025 आई0एन0एस0सी0 1386 में** स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक द्वारा अनुसंधान के दौरान दिये गये बयान को मृत्युकालिक कथन के रूप में लिया जा सकता है। यदि पश्चात् में कथनकर्ता की मृत्यु हो गयी हो।

जब दंड प्रकिया संहिता की धारा–162 के खंड (2), भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–32 का खंड (1), के आलोक में मृतका का बयान जो कि अनुसंधान के दौरान अनुसंधानकर्ता के द्वारा केस डायरी की कंडिका–05 का

Manoj 03-08-2026

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ★ वैशाली, हाजीपुर ★ सत्यमेव जयते

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st
Vaishali at Hajipur
Present : Manoj Kumar Tiwari, D. & A.S.J.-Ist, Vaishali.
Date of Judgment:-03.08.2026
S.Tr. No.- 470/2024+597/2024
Case No. :- Mahila P.S. Case No.-21/2023

अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि अनुसंधानकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिनांक–14.07.2023 को समय 7:30 बजे अनुसंधानकर्ता नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे तथा उन्होंने वादिनी से बयान लिया तथा वादिनी अर्थात् मृतका ने अपने बयान में फर्दबयान का पूर्ण समर्थन करते हुए बतायी थी कि उसकी शादी *पति–नवीनानंद कुमार उर्फ धनपत कुमार ग्राम– शंकरपुर, थाना–महुआ, जिला–वैशाली से हुई थी। शादी करके मैं ससुराल गयी और रहने लगी। कुछ दिन तक ठीक से रही, उसके बाद मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। पति–नवीनानंद कुमार उर्फ धनपत कुमार पिता–रामदयाल साह, 2. सास–सिजानकी देवी पति–राम दयाल साह, 3. रामदयाल साह पिता–रामेश्वर साह, 4. दिपु कुमार, पे0–रामदयाल साह, 5. ननद–सोनाली कुमारी पिता–रामदयाल साह, 6. निशा कुमारी पति–आलोक कुमार सभी सा0– ग्राम– शंकरपुर, थाना–महुआ, जिला–वैशाली ने मारपीट करने लगा। सात दिन तक खाना–पीना नहीं दिया और रूम में बंद किया रहता था। रूम खोलकर आता था तो दिपु को भेज देता हमारे साथ गलत करने के लिए जब हम रोक लगाते तो सभी आदमी ने मुझे घर का दरवाजा बंद करके मारने लगता था। हम चिल्लाते थे तो कोई को आने पर छोड़ता था। खाने के लिए नहीं देते थे। खाने के लिए मांगते थे तो बोलते थे कि दिपु को साथ रहने दो नहीं तो तुमको मार देंगे। जैसे बड़ी पूजा कुमारी (पहली पत्नी) को आग लगाकर मार दिये, वैसे ही तुमको भी मार देंगे। नवीनानंद कुमार उर्फ धनपत कुमार का पहली पत्नी का नाम–पूजा कुमारी, पिता–..... ग्राम–जिरपुर थाना–पातेपुर, जिला–वैशाली था। उसको घर में आग लगाकर मार दिया और हर बार बोलता था कि मार दिये क्या हुआ। उसी तरह तुमको भी मार देंगे। मेरा तबीयत का कुछ नहीं हुआ था, लेकिन एक मियां कम्पोटर को बुलाकर हमें सुई दिलाया। एक सूई में मैं बेहोश होकर गिर पड़ी तो उसके बाद 7 सूई दिया तब हमें होश आया, तब बताया कि तुमको सूई दे दिये हैं, अब तुम्हारा शरीर में जहर फैलेगा। इतना सुन हम बाहर भागने का कोशिश किया तो हमें रूम में बंद कर दिया। फिर दूसरे दिन फिर उसी को बुलाया, जो पहले सूई दिया था। एक सूई देने पर फिर हम बेहोश हो गये। मुझे कोई बात का याद नहीं है, जब मैं होश में आयी तो हाथ नहीं उठने लगा और कमर भी बहुत दर्द कर रहा था। जब दर्द के जगह देखा तो नौ सूई फिर दिया हुआ था। तब हमारा बोली लड़खड़ाने लगा तो हाजीपुर अस्पताल में भर्त्ती कराकर पति भाग गया। मेरे*

Manoj 05-08-2026

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम वैशाली, हाजीपुर

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st
Vaishali at Hajipur
Present : Manoj Kumar Tiwari, D. & A.S.J.-Ist, Vaishali.
Date of Judgment:-03.08.2026
S.Tr. No.- 470/2024+597/2024
Case No. :- Mahila P.S. Case No.-21/2023

मायके को किसी तरह फिर से फोन किया गया तो मैके से मां, पिता आये तो तबीयत बिगड़ने के हालत में हाजीपुर से रेफर कराकर नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना में अच्छा इलाज के लिए ले गये। वहां भी खून चढ़ा फिर भी तबीयत में सुधार नहीं हुआ लेकिन इलाज हो रहा था। खून भी चढ़ा। हमको गोली भी जबरदस्ती खिलाने लगा, नहीं खाने पर मारपीट करता था। मेरे ससुराल वाले 06 अभियुक्तों ने बोला कि ऐसा जहर का सूई दे रहे है कि सबको लगेगा कि अपने से मरा है। किसी को पता नहीं चलेगा। तुम मर जाओगी। यही मेरा बयान है, आगे और कुछ नहीं बोले।

अब मुख्य प्रश्न यह है कि क्या मृतका द्वारा अनुसंधान के दौरान किया गया कथन मृत्युकालिक कथन के परिभाषा के अधीन आता है तो इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–32 का खंड (1), यह स्पष्ट रूप से कहती है कि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपने मृत्यु के कारण के बारे में कही जानी चाहिए अथवा संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया जाना चाहिए, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो और यह तभी जबकि उस व्यक्ति के मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो। मृत्युकालिक कथन होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि जिस समय मृत्युकालिक कथन किया गया था, उस समय उसे मृत्यु होने की संभावना ज्ञात हो। **रामबिहारी यादव बनाम स्टेट आफ बिहार एवं अन्य ए0आई0आर0 1998 सुप्रीम कोर्ट 1850 में** माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मृत्युकालिक कथन एक ऐसे व्यक्ति का कथन होता है, जो मर गया है और जिसने अपने मृत्यु के कारण के बारे में अथवा संव्यवहार की उन परिस्थितियों के बारे में कथन किया है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु कारित हुई है। यद्यपि कि मृत्युकालिक कथन अप्रत्यक्ष साक्ष्य होता है, परन्तु यह इस नियम का कि अनुश्रुत साक्ष्य ग्राह्य नहीं होते हैं, का अपवाद है। वास्तव में यह एक सारभूत साक्ष्य है और यह अन्य सारभूत साक्ष्य की तरह ही संपोषण की आवश्यकता नहीं होती है तथा दोष–सिद्धि का आधार होती है, परन्तु यह प्रज्ञा का नियम है कि मृत्युकालिक कथन को अन्य उपस्थिति साक्ष्यों से तुलना करा लेनी चाहिए।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–32 का खंड (1), तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित निर्णयों के आलोक में यह निर्धारित करना है कि पीड़िता–सह–मृतका द्वारा किया गया कथन किस प्रकार से अपने मृत्यु के

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st
Vaishali at Hajipur
Present : Manoj Kumar Tiwari, D. & A.S.J.-I[st], Vaishali.
Date of Judgment:-03.08.2026
S.Tr. No.- 470/2024+597/2024
Case No. :- Mahila P.S. Case No.-21/2023

कारण या संव्यवहार के उन परिस्थितियों पर प्रकाश डालती है, जिसके अनुक्रम में उसकी मृत्यु कारित हुई है। इस संबंध में मृतका द्वारा दिये गये बयान का अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे प्रारंभ में तो ठीक से रखा गया, परन्तु बाद में दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा उसके साथ मारपीट किया जाता था तथा सात दिन तक खाना नहीं दिया गया और रूम में बंद किया गया था तथा खाना मांगने पर कहा जाता था कि वह उसके पति के छोटे भाई को अपने पास रहने दे। यहां पर मृतका ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे सात दिन तक खाना नहीं दिया गया। मृतका के इस कथन को अन्य साक्षियों के साक्ष्य से संपुष्टि के पूर्व मृतका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं इलाज के इतिहास को भी ध्यान में रखना आवश्यक है, जिससे कि स्पष्ट हो सके कि वास्तव में मुख्य अभियुक्त नवीनानंद कुमार उर्फ धनपत कुमार ने वास्तव में मृतका को बिना खाना दिये एवं उसका उत्पीड़न करके उसकी मृत्यु कारित करने में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका अदा की। इस संबंध में अभियोजन साक्षी सं0—06 डॉक्टर तोसल दिगम्बर वानखेड़े, जिन्होंने मृतका का पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया था, ने अपने मुख्य—परीक्षण एवं प्रति—परीक्षण में स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतका अत्यधिक कमजोरी एवं रक्त की अत्यंत कमी के कारण मृत हुई थी। प्रति—परीक्षण के माध्यम से यह भी स्पष्ट हुआ है कि मृतका के इलाज रिपोर्ट के अनुसार मृतका को हिमोग्लोबिन की अत्यंत कमी पायी गयी थी तथा मृतका 45 दिनों से बुखार से पीड़ित रही थी। अब प्रश्न यह है कि मृतका के मृत्यु कारित करने में तथा उसकी मृत्यु होने में जैसा कि मेडिकल जांच रिपोर्ट में अंकित किया गया है क्या संबंध में है। यहां पर मृतका ने स्वयं कही है कि उसे लगातार कई दिनों तक कमरे में बंद रखा जाता था तथा उसे भोजन नहीं दिया जाता था तथा उसका इलाज भी नहीं कराया गया। इस संबंध में अभियोजन साक्षी सं0—01 मनीष कुमार हैं, जो कि मृतका के भाई हैं, इन्होंने अन्य तथ्यों के साथ स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी बहन निशा को 05 लाख रुपया एवं एक मोटरसाईकिल की मांग के लिए प्रताड़ित किया जाता था और इस संबंध में यह साक्षी और उनके पिताजी निशा के ससुराल समझाने गये थे, जहां पर ससुराल वालों से बातचीत हुई थी, परन्तु वे लोग अपनी मांग पर अड़े रहें तथा इसके बाद निशा के ससुराल वाले उसका खाना—पीना बंद कर दिये एवं उसके साथ मारपीट करने लगे। यहां पर यह स्पष्ट रूप से आया है कि मृतका को खाना—पीना नहीं दिया जाता था तथा उसके साथ मारपीट की गयी

Manoj 03-08-2026

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम वैशाली, हाजीपुर सत्यमेव जयते

थी और जब मृतका बीमार हो गयी तो उसे उसके पति नवीनानंद कुमार उर्फ धनपद कुमार हाजीपुर में अस्पताल में भर्त्ती कराकर भाग गया। यहां पर यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि मृतका को उसके ससुराल वाले खाना–पीना भी नहीं देते थे तथा इलाज भी नहीं कराये, जो कि उनका विधिक दायित्व था। साक्षी ने कहा है कि निशा का इलाज एन0एम0सी0एच0 पटना में लगभग 21 दिनों तक चला था। अब प्रश्न यह है कि जब मृतका 45 दिनों तक बीमार थी तो उसका इलाज उसके पति के द्वारा न कराकर उसे घर में बिना खिलाये–पिलाये बंद करके क्यों रखा गया। पीड़िता के साथ मारपीट की घटना के बारे में अभियोजन साक्षी सं0–02 देवेन्द्र साह, जो कि मृतका के पिता है, ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि पंचायती के बाद भी अभियुक्तगण नहीं माने तथा कहें कि उन्हें जैसे रखना है, वे रखेंगे। साक्षी ने अपने मुख्य–परीक्षण में ही कहा है कि निशा के शरीर में खून नहीं था, इसलिए एन0एम0सी0एच0 में खून चढ़ा उसके बाद एम्स पटना में इलाज के लिए गये, वहां भी मेरी बेटी को खून चढ़ाया गया था तथा 06 दिनों के इलाज के पश्चात् उसकी बेटी की मृत्यु हो गयी। साक्षी ने प्रति–परीक्षण की कंडिका–23 में स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरी बेटी लड़का वाला के यहां करीब 15–20 दिनों तक बीमार थी, उसके बाद उसकी बेटी को गणपति अस्पताल हाजीपुर में भर्त्ती कराकर उसका पति वहीं छोड़कर चला गया। इस तथ्य को अनुसंधानकर्ता ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतका का इलाज गणपति अस्पताल हाजीपुर में हुआ था उसके बाद एन0एम0सी0एच0 पटना में हुआ था तथा वहां से रेफर होने के बाद एम्स पटना में हुआ था तथा एम्स पटना में ही मृतका की मृत्यु इलाज के क्रम में हो गयी थी। बचाव पक्ष का ही कंडिका–12 में सुझाव के रूप में स्वीकृति है कि मृतका का इलाज तीनों अस्पताल मिलाकर कुल 45 दिनों तक चला था। यहां पर यह प्रश्न है कि जब मृतका के मायके वाले 21 दिन इलाज कराये थे तो इसके पूर्व करीब 24 दिन वह अपने ससुराल में बीमार हालत में पड़ी थी, ऐसी परिस्थिति में अभियुक्तगण के द्वारा इलाज की एक भी पर्ची न्यायालय में प्रस्तुत न किया जाना इस तथ्य को बल देता है कि मृतका को बीमार अवस्था में परित्यक्त रूप में बिना किसी देखभाल के रखा गया और मृतका के मायके के लोगों के द्वारा तमाम इलाज के पश्चात् भी मृतका को नहीं बचाया जा सका। इस संबंध में **भारतीय दंड संहिता की धारा–33** एक विधिक सिद्धांत प्रतिपादित करती है कि कोई भी अपराध केवल कार्य के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि लोप के द्वारा भी किया जा सकता

Manoj 03-08-2026

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ★ वैशाली, हाजीपुर ★ सत्यमेव जयते

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st
Vaishali at Hajipur
Present : Manoj Kumar Tiwari, D. & A.S.J.-Ist, Vaishali.
Date of Judgment:-03.08.2026
S.Tr. No.- 470/2024+597/2024
Case No. :- Mahila P.S. Case No.-21/2023

है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु शारीरिक बल के द्वारा उसे गोली मारकर, गला काटकर अथवा फांसी पर चढ़ाकर कारित किया जाय, बल्कि किसी व्यक्ति की मृत्यु उसे भूखा मारकर भी किया जा सकता है। इस तथ्य को **भारतीय दंड संहिता की धारा–36** का दृष्टांत बल प्रदान करता है, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि क अंशतः य को अवैध रूप से भोजन देने का लोप करके और अंशतः य को पीटकर साशय य की मृत्यु कारित करता है। क ने हत्या की है। यह दृष्टांत स्पष्ट करती है कि भोजन देने का लोप करके भी हत्या कारित की जा सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **ओमप्रकाश बनाम स्टेट ऑफ पंजाब ए0आई0आर0 1961 सुप्रीम कोर्ट 1782 के** माध्यम से स्पष्ट किया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा–32 'कार्य' को विस्तृत अर्थ दिया है, जिसमें केवल कारित किया गया कृत्य ही शामिल नहीं है, बल्कि अवैध लोप भी शामिल है, इसलिए जहां पर एक नर्स के द्वारा उसको सौंपे गये बच्चे की मृत्यु हुई है, वह नर्स हत्या के लिए दायी है, यदि बच्चा पानी के टब में गिरकर मर जाता है। इसी प्रकार जहां कि एक जेलर, कैदी की मृत्यु उसको भोजन देने में उपेक्षा कारित करके, करता है, वहां पर वह जेलर आपराधिक मानववध कारित करने के लिए दायी है। अतः यहां पर जबकि मृतका ने अपने धारा–161 के बयान में स्पष्ट रूप से कही है कि उसे 07 दिनों तक कमरे में बंद करके रखा गया था तथा उसे प्रताड़ित किया जाता था तथा भोजन नहीं दिया जाता था, साथ ही अन्य साक्षियों के साथ–साथ मेडिकल रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि मृतका को उसके मायके वालों के द्वारा इलाज कराये जाने के पूर्व बिना किसी इलाज के घर में रखा गया तथा अंत में गणपति अस्पताल हाजीपुर में भर्त्ती कराने के पश्चात् उसे उसका पति छोड़कर भाग गया, इस बात का स्पष्ट रूप से साक्ष्य है कि मृतका का पति नवीनानंद उर्फ धनपत अपनी पत्नी को जानबूझकर इस स्थिति में रखा कि वह कुपोषण एवं इलाज के अभाव में मर जाय। इसलिए यहां पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि मृतका के द्वारा 161 के बयान को मृत्युकालिक कथन के रूप में स्वीकार करने में कोई अवैधता नहीं है, क्योंकि मृतका ने न केवल अपने मृत्यु के कारण अर्थात् भूख एवं बीमारी के संबंध में अपने पति के भूमिका को स्पष्ट किया है, बल्कि अन्य साक्षियों ने भी स्पष्ट रूप से मृतका के कथन को अपने साक्ष्य के माध्यम से संपुष्ट किया है कि मृतका को उसके मृत्यु के पूर्व कई दिनों तक प्रताड़ना के अधीन रखा जाता था तथा इस प्रताड़ना में उसे जानबूझकर न तो

Manoj 03.08.2026

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ★ वैशाली, हाजीपुर ★

भोजन दिया गया और न ही उसका इलाज कराया गया। वर्तमान समय में यह बात भी स्पष्ट है कि मेडिकल क्षेत्र ने इतना विकास कर लिया है कि टी0बी0 का रोग भी लाइलाज नहीं रह गया है। अतः बचाव पक्ष का यह कहना कि पीड़िता की मृत्यु खून की कमी एवं टी0बी0 के रोग के कारण हुई थी, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यदि पीड़िता को कोई रोग था भी तो उसके पति का यह विधिक दायित्व था कि वह उसका इलाज कराता और इस बीमारी के बारे में उसके मायके वालों को सूचित करता। यदि मृतका के मायके वाले बाद में इलाज करा सकते थे तो वह उन 24 दिनों में भी अवश्य इलाज कराते और इस परिस्थिति में मृतका इस अवस्था में नहीं पहुंचती कि एन0एम0सी0एच0 तथा एम्स पटना इलाज के पश्चात् भी उसको बचाने में असमर्थ रहती। वास्तविकता यह थी कि पीड़िता को उस समय तक बिना इलाज के रखा गया, जब तक कि वह अपने मृत्यु के करीब नहीं पहुंच गयी। बचाव पक्ष ने मृतका के इलाज का एक भी पर्ची प्रस्तुत नहीं किया है, इससे स्पष्ट होता है कि कभी भी मृतका का इलाज कराया ही नहीं गया था। यहां पर बचाव पक्ष द्वारा कभी भी यह नहीं कहा गया कि मृतका विवाह के पश्चात् और इस घटना के पूर्व में बीमार रहती थी। बचाव पक्ष के द्वारा इस कृत्य के बावजूद भी अभियोजन साक्षी सं0–01 के प्रति–परीक्षण में बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क लिया गया है कि *उसकी बहन की मृत्यु के बाद नाजायज तरीके से पैसे की उगाही के लिए यह झूठा केस अभियुक्तगण पर कर दिया था।* जब केस मृतका द्वारा स्वयं दर्ज कराया गया था तो यह तर्क पूरी तरह से निरर्थक है कि यह प्राथमिकी पैसा वसूलने के लिए मृतका के मृत्यु के पश्चात् किया गया था।

अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि मृतका के द्वारा दर्ज कराये गये प्राथमिकी एवं उसके द्वारा अनुसंधान के दौरान दिये गये बयान को मृत्युकालिक कथन मानने में कोई अवैधता नहीं है। अभियोजन ने अपने साक्ष्य के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया है कि मृतका की मृत्यु अभियुक्त नवीनानंद उर्फ धनपत के द्वारा प्रताड़ना के अनुक्रम में भोजन न देने, कई दिनों तक कमरे में बंद रखने तथा इन कृत्यों के परिणामस्वरूप मृतका के शरीर में अत्यंत खून की कमी हो जाने के कारण हुई है। अभियुक्त के द्वारा मृतका का इलाज न कराने तथा हॉस्पिटल में भर्त्ती कराकर भाग जाने से भी स्पष्ट है कि अभियुक्त नवीनानंद उर्फ धनपत ने अपने उस विधिक दायित्व को पूरा करने में असफल रहा है, जो उसके पति होने के कारण तथा उसके घर में रहने के कारण मृतका के प्रति उसका

Manoj 03-08-2026

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सत्यमेव जयते ★ वैशाली, हाजीपुर ★

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st
Vaishali at Hajipur
Present : Manoj Kumar Tiwari, D. & A.S.J.-Ist, Vaishali.
Date of Judgment:-03.08.2026
S.Tr. No.- 470/2024+597/2024
Case No. :- Mahila P.S. Case No.-21/2023

विधिक दायित्व था। अतः नवीनानंद उर्फ धनपत अपने विधिक दायित्व से इंकार नहीं कर सकता है। अतः भारतीय दंड संहिता की धारा–32, धारा–37 के दृष्टांत एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **ओमप्रकाश बनाम स्टेट ऑफ पंजाब ए0आई0आर0 1961 सुप्रीम कोर्ट 1782 के** आलोक में अभियुक्त नवीनानंद उर्फ धनपत को उसके अवैध लोप के कारण मृतका निशा देवी की मृत्यु के लिए दायी ठहराया जाना न्यायोचित है।

(19) अभियुक्त नवीनानंद कुमार उर्फ धनपत कुमार तथा अन्य अभियुक्तगण को अन्य धाराओं के साथ–साथ भा0दं0वि0 की धारा–498ए तथा भा0दं0वि0 की धारा–304बी दहेज मृत्यु के लिए आरोपित किया गया था। **भा0दं0वि0 की धारा–304बी** दहेज मृत्यु को परिभाषित करते हुए कहती है कि जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था वहां ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जायेगा, और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जायेगा।

Manoj 01-08-2026

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ★ वैशाली, हाजीपुर ★ सत्यमेव जयते

दहेज मृत्यु के लिए आवश्यक है कि मृत्यु विवाह से सात वर्ष के अंदर घटित हुई हो तथा मृत्यु के ठीक पहले उसके पति अथवा उसके पति के किसी संबंधी द्वारा उस महिला के साथ क्रूरता की गयी हो तथा ऐसी क्रूरता दहेज के लिए या दहेज के किसी मांग के संबंध में की गयी होना चाहिए।

प्रस्तुत वाद में विवाह की तिथि 05.05.2021 है और इस संबंध में कोई भी विवाद बचाव पक्ष द्वारा भी नहीं किया गया है, अतः जबकि मृत्यु की तिथि 22.07.2023 है तो ऐसी स्थिति में इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है कि मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई थी। द्वितीय प्रश्न यह कि क्या अभियोजन ने यह साबित किया है कि मृतका के साथ उसके पति नवीनानंद कुमार उर्फ धनपत कुमार या उनके नातेदारों के साथ दहेज के संबंध में कारित की गयी थी अथवा नहीं। इस तथ्य को साबित करने के लिए मृतका निशा कुमारी ने अपने मृत्यु से पूर्व प्राथमिकी में ही स्पष्ट रूप से कही है कि मेरे साथ दहेज के लिए मेरे पति प्रताड़ित करते थे तथा उसके सास, ससुर तथा उनके पति के विरूद्ध मृतका

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st
Vaishali at Hajipur
Present : Manoj Kumar Tiwari, D. & A.S.J.-Ist, Vaishali.
Date of Judgment:-03.08.2026
S.Tr. No.- 470/2024+597/2024
Case No. :- Mahila P.S. Case No.-21/2023

ने दिनांक–17.04.2023 को लिखित शिकायत महिला थाना हाजीपुर वैशाली में दिया था और थाना स्तर से समझौता कराकर पुनः शंकरपुर ससुराल उसके पति नवीनानंद कुमार उर्फ धनपत कुमार के पास भेज दिया गया। इस तथ्य को पीड़िता ने अनुसंधान के अनुक्रम में अपने धारा–161 के बयान में भी संपुष्ट किया है। अतः मृतका का यह कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–162 (2) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–32 खंड (1) के अधीन सुसंगत है। पीड़िता के इस कथनों को अन्य साक्षियों जैसे कि अभियोजन साक्षी सं0–01 मनीष कुमार ने अपने मुख्य–परीक्षण में भी कहा है कि नवीनानंद एवं अन्य लोग मिलकर मेरी बहन निशा को पांच लाख रुपया एवं एक मोटरसाईकिल की मांग के लिए प्रताड़ित करते थे तथा अभियोजन साक्षी सं0–01 स्वयं एवं अपने पिताजी के साथ मृतका के ससुराल समझाने भी गये थे। अभियोजन साक्षी सं0–01 ने अपने प्रति–परीक्षण की कंडिका–22 में भी कहा है कि निशा के साथ मारपीट लगातार होता था और उसने निशा के बांह पर चोट का निशान भी देखा था। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी सं0–02 देवेन्द्र साह ने भी अपने मुख्य–परीक्षण में कहा है कि हमलोग निशा के ससुराल जाते थे तब सभी लोग कहते थे कि पांच लाख रुपया दो और मोटरसाईकिल दो, नहीं देने पर निशा के साथ मारपीट किया जाता था, उसके बाद पंचायती हुआ, जिसमें शशि कुमार, पंकज कुमार, नीतीश कुमार, जितेन्द्र एवं अन्य लोग भी गये थे और जिस पंचायती को अभियुक्तगण नहीं माने। अभियोजन साक्षी सं0–02 ने अपने प्रति–परीक्षण की कंडिका–21 में भी स्पष्ट रूप से कहा है कि पंचायती के दिन मेरी बेटी के कलेजा दाहिना एवं बांया पैर में चोट का निशान था। अभियोजन साक्षी सं0–03 ने भी अपने मुख्य–परीक्षण में कही है कि यह घटना दहेज के लिए एवं गाड़ी के लिए सब मिलकर करते थे तथा उसके ससुराल वालों द्वारा लगातार मारपीट किया जाता था, उसके बाद महिला थाना के स्तर से पुनः विदा कराकर नवीनानंद एवं रामदयाल ले गये थे। प्रति–परीक्षण की कंडिका–04 में साक्षी ने कहा है कि पंचायती के दो महीना बाद मेरी लड़की मरी थी। अतः सभी साक्षियों के साक्ष्य से इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि अभियोजन ने इस तथ्य को बिना संदेह के साबित किया है कि मृतका को दहेज के मांग के संबंध में मृत्यु के पूर्व प्रताड़ित किया जाता रहा है। मृतका ने अपने धारा–161 के बयान में भी स्पष्ट रूप से कही है कि उसके साथ मारपीट किया जाता था तथा लगभग सात दिनों तक खाना नहीं दिया गया और रूम में बंद किया रहता था।

Manoj 07-08-2026

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम वैशाली हाजीपुर

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st
Vaishali at Hajipur
Present : Manoj Kumar Tiwari, D. & A.S.J.-I[st], Vaishali.
Date of Judgment:-03.08.2026
S.Tr. No.- 470/2024+597/2024
Case No. :- Mahila P.S. Case No.-21/2023

बचाव पक्ष का खुद ही स्वीकारोक्ति है कि कुल 45 दिनों तक इलाज चला था। अतः जबकि थाने में पंचायती की घटना मृतका के मृत्यु के दो महीने पूर्व हुई थी तो यह नहीं कहा जा सकता कि दहेज की मांग के संबंध में उत्पीड़न मृत्यु के काफी पूर्व हुआ था, इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित वाद **यशोदा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश ए0आई0आर0 2005 सुप्रीम कोर्ट 1411 में** स्पष्ट रूप से निर्णित किया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा–304बी में मृत्यु से पूर्व (soon before death) का अभिप्राय मृत्यु से तत्काल पूर्व (immediate before death) नहीं है। अभियोजन ने पूर्व में ही इस तथ्य को साबित किया है कि मृतका को दहेज के संबंध में उत्पीड़न के अनुक्रम में कमरे में बिना भोजन–पानी के बंद किया जाता था और पश्चात् में अत्यंत कमजोर हो जाने तथा रोग से ग्रसित हो जाने के पश्चात् भी उसको अस्पताल तब तक नहीं पहुंचाया गया, जब तक कि वह मृत्यु के बिल्कुल करीब नहीं पहुंच गयी और अस्पताल पहुंचाने के पश्चात् भी ससुराल के सभी लोग उसे अस्पताल छोड़कर ही भाग गये थे। इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–113बी यह उपधारणा प्रस्तुत करती है कि जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–113बी की यह उपधारणा विधिक उपधारणा है, अतः न्यायालय अभियोजन द्वारा यह साबित किये जाने के पश्चात् कि मृतका की मृत्यु दहेज के संबंध में उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर दहेज न दिये जाने के कारण कारित की गयी थी या मृत्यु हुआ था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी। यहां पर बचाव पक्ष का यह कर्त्तव्य था कि वह यह साबित करे कि यदि पीड़िता–सह–मृतका उसके यहां बीमार अवस्था में थी अथवा उसे पूर्व से कोई बीमारी थी, जिसका इलाज उनलोगों ने करवाया था तो उसके संबंध में कोई भी मेडिकल इलाज का पर्ची न्यायालय में प्रस्तुत करते। अनुसंधानकर्ता ने भी अपने प्रति–परीक्षण की कंडिका–11 में कहा है कि मृतका का इलाज गणपति अस्पताल हाजीपुर उसके बाद एन0एम0सी0एच0 पटना तथा वहां से रेफर होने के बाद एम्स पटना में हुआ था, जहां पटना में मृतका की मृत्यु इलाज के कम में हो गयी थी।

Manoj 03-08-2026

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st
Vaishali at Hajipur
Present : Manoj Kumar Tiwari, D. & A.S.J.-I[st], Vaishali.
Date of Judgment:-03.08.2026
S.Tr. No.- 470/2024+597/2024
Case No. :- Mahila P.S. Case No.-21/2023

इन तीनों अस्पताल में से किसी भी अस्पताल में मृतका के ससुराल वाले उपस्थित नहीं थे, जबकि अनुसंधानकर्ता के प्रति–परीक्षण की कंडिका–12 में बचाव पक्ष का ही कथन है कि मृतका का इलाज तीनों अस्पताल मिलाकर कुल 45 दिनों तक चला था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से प्रति–परीक्षण के दौरान बचाव पक्ष ने स्वयं स्वीकार कराया है कि पीड़िता के शरीर में हिमोग्लोबिन की अत्यंत कम मात्रा थी तथा मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार मृतका 45 दिनों तक बुखार से पीड़ित रही, ऐसी परिस्थिति में बचाव पक्ष द्वारा इलाज की एक भी पर्ची प्रस्तुत न किया जाना इस बात का स्पष्ट रूप से साक्ष्य है कि उनलोगों ने जानबूझकर मृतका को ऐसी परिस्थिति में रखा, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाय और पश्चात् में यही हुआ भी कि मृतका के मायके वालों के तमाम इलाज के पश्चात् भी अंततः मृतका को बचाया नहीं जा सका। अतः अभियुक्तगण का यह कहना कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण अत्यंत रक्त की कमी तथा टी0बी0 का रोग होना अभियुक्तगण को उनके दायित्व से कोई भी बचाव प्रदान नहीं करता, फिर भी मृतका को भोजन–पानी न देने का कृत्य तथा उसे रूम में बंद करके रखने का कृत्य तथा इलाज न कराने का दायित्व मृतका के पति नवीनानंद कुमार उर्फ धनपत कुमार का था, इसलिए वाद में आरोपित अन्य अभियुक्तगण : **01. दीपू कुमार,** उम्र–27 वर्ष, पे0–रामदयाल साह, **02. रामदयाल साह,** उम्र–57 वर्ष, पे0–स्व0 रामेश्वर साह, **03. सिजानकी देवी,** उम्र–55 वर्ष पे0–रामदयाल साह, **04. सोनाली कुमारी,** उम्र–23 वर्ष, पे0 रामदयाल साह, **05. निशा कुमारी,** उम्र–24 वर्ष, पे0–आलोक कुमार, सभी साकिन–शंकरपुर, थाना–महुआ, जिला–वैशाली को इस कृत्य के लिए विधिक दायित्व के अधीन नहीं रखा जा सकता। अतः जबकि नवीनानंद कुमार उर्फ धनपत कुमार के अलावा अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध क्रूरता का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो केवल अनुश्रुत साक्ष्य के आधार पर दोष–सिद्ध नहीं किया जा सकता। अभियुक्त नवीनानंद कुमार उर्फ धनपत कुमार के विरूद्ध आरोपित धारा–377 भा0दं0वि0 के संबंध में भी कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य न्यायालय के समक्ष अभियोजन प्रस्तुत नहीं कर पाया तथा मेडिकल जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले चिकित्सक साक्षी ने भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उन्होंने अप्राकृतिक दुष्कर्म का कोई साक्ष्य नहीं पाया, इसलिए अभियुक्त नवीनानंद कुमार को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में भा0दं0वि0 की धारा–377 से दोष–मुक्त किया जाता है।

Manoj
03-08-2026

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम वैशाली, हाजीपुर सत्यमेव जयते

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st
Vaishali at Hajipur
Present : Manoj Kumar Tiwari, D. & A.S.J.-Ist, Vaishali.
Date of Judgment:-03.08.2026
S.Tr. No.- 470/2024+597/2024
Case No. :- Mahila P.S. Case No.-21/2023

आदेश

20. अतः अभियुक्त नवीनानंद कुमार उर्फ धनपत कुमार, उम्र–33 वर्ष पे0–रामदयाल साह को भा0दं0वि0 की धारा–**341, 323, 498(A), 304(B), 504, 506/34** भा0दं0वि0 में दोष–सिद्ध किया जाता है, जबकि अन्य अभियुक्तगण : **01. दीपू कुमार,** उम्र–27 वर्ष, पे0–रामदयाल साह, **02. रामदयाल साह,** उम्र–57 वर्ष, पे0–स्व0 रामेश्वर साह, **03. सिजानकी देवी,** उम्र–55 वर्ष पे0–रामदयाल साह, **04. सोनाली कुमारी,** उम्र–23 वर्ष, पे0 रामदयाल साह, **05. निशा कुमारी,** उम्र–24 वर्ष, पे0–आलोक कुमार, सभी साकिन–शंकरपुर, थाना–महुआ, जिला–वैशाली को उनपर लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा**–341, 323, 324, 307, 377, 498(A), 304(B), 504, 506/34** भा0दं0वि0 में संदेह का लाभ देते हुए निर्दोष पाकर दोष मुक्त किया जाता है दोषमुक्त अभियुक्तगण एवं उनके जमानतदारों को दंड प्रकिया संहिता की धारा–437ए से भिन्न प्रयोजनों के लिए बंध–पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

दंडादेश के बिन्दु पर सुनवाई दिनांक–13.08.2026 को निर्धारित की जाती है।

Dictated & Corrected by me.
Manoj 03.08.2026
(Manoj Kumar Tiwari),
Additional Sessions Judge 1st ,
Dated-03.08.2026

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, वैशाली, हाजीपुर

Dictated
Manoj 03.08.2026
(Manoj Kumar Tiwari),
Additional Sessions Judge 1st ,
Vaishali at Hajipur,
Dated-03.08.2026

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, वैशाली, हाजीपुर

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st
Vaishali at Hajipur
Present : Manoj Kumar Tiwari, D. & A.S.J.-I[st], Vaishali.
Date of Judgment:-03.08.2026
S.Tr. No.- 470/2024+597/2024
Case No. :- Mahila P.S. Case No.-21/2023

13.08.2026 : –

दंडादेश के बिन्दु पर सुनवाई

दंडादेश के बिन्दु पर सुनवाई हेतु अभिलेख प्रस्तुत किया गया। दोष–सिद्ध अभियुक्त : नवीनानंद कुमार उर्फ धनपत कुमार, के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त नवीनानंद कुमार उर्फ धनपत कुमार अत्यंत कम उम्र का है तथा उसकी पहली पत्नी से उत्पन्न एक छोटी सी बच्ची है, जिसकी मां दुर्भाग्यवश गैस में आग लगने के कारण मर गयी थी, अतः उस बच्ची के भी देखभाल का दायित्व अभियुक्त नवीनानंद कुमार के उपर ही है। अतः अभियुक्त को न्यूनतम कारावास की सजा दिया जाय, जिससे वह पुनः आकर उस बच्ची के भविष्य के संबंध में तथा अपने माता–पिता की सेवा में योगदान कर सकें।

विद्वान लोक अभियोजक, श्री श्यामबाबू राय, ने दंडादेश के बिन्दु पर सुनवाई के क्रम में कहा कि अभियुक्त नवीनानंद कुमार उर्फ धनपत कुमार ने मृतका को एक लंबे समय तक प्रताड़ना के अधीन रखा और एक योजना के तहत उसकी मृत्यु कारित कर दिया। यह अपराध पूरे समाज के विरूद्ध है, अतः अभियुक्त को अधिकतम सजा दिया जाय।

Manoj
13.08.2026

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम
वैशाली, हाजीपुर

दंडादेश के बिन्दु पर उभय पक्षों को सुना, अभिलेख का अवलोकन किया तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व निर्णयों का भी अवलोकन किया। इस संबंध में **माननीय उच्चतम न्यायालय ने 25 मई, 2026 को निर्णित अपील गौर आचारजी बनाम द स्टेट ऑफ त्रिपुरा एवं अन्य 2026 आई0एन0एस0सी0 535** में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य समाज के लिए चेतावनी के रूप में जारी की है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बेटियों को बार–बार समझौते के आधार पर उन्हें उस ससुराल में नहीं भेजा जाना चाहिए, जहां पर कि दहेज के लिए उनके साथ प्रताड़ना होती है। प्रत्येक बार मृतका के मायके वाले इस उम्मीद में कि मामला सुलझ जायेगा और बेटी का परिवार बस जायेगा, उन्हें उनके ससुराल विदा करते हैं, जिसका परिणाम उनकी दहेज मृत्यु के रूप में सामने आती हैं। प्रस्तुत मामले में भी यही हुआ था। मृतका के द्वारा पूर्व में शिकायत किये जाने के पश्चात् भी थाना द्वारा सुलह कराकर उसके ससुराल मृतका को भेजा गया था, जहां पर कि उसके साथ प्रताड़ना के अनुक्रम में भूखा रखकर एवं इलाज में लोप कारित करके उसको मृत्यु के करीब पहुंचा दिया गया था। अतः बचाव पक्ष द्वारा केवल यह कहना कि अभियुक्त के उपर घर–परिवार की काफी जिम्मेदारी है, इसलिए उसे

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st
Vaishali at Hajipur
Present : Manoj Kumar Tiwari, D. & A.S.J.-Ist, Vaishali.
Date of Judgment:-03.08.2026
S.Tr. No.- 470/2024+597/2024
Case No. :- Mahila P.S. Case No.-21/2023

न्यूनतम कारावास दिया जाय, न्यायालय को किसी प्रकार से द्रवित नहीं करती है, जिसके आधार पर अभियुक्त को न्यूनतम कारावास दिया जा सकें। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **स्टेट ऑफ उत्तरप्रदेश बनाम अजमल वेग एवं अन्य 2025 आई0एन0एस0सी0 1435 के मामले में** भी स्पष्ट रूप से दहेज मृत्यु से संबंधित आपराधिक अपील को निर्णित करते समय अपनी चिन्ता इस शब्द में व्यक्त किया है कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी दहेज मृत्यु से संबंधित अपराध पर कोई भी नियंत्रण नहीं लग पा रहा है। अतः दोष–सिद्ध अभियुक्त नवीनानंद कुमार उर्फ धनपत कुमार को निम्नलिखित दंड से दंडित किया जाता है :–

भा0दं0वि0 की धारा–341 के अंतर्गत एक मास का साधारण कारावास।

भा0दं0वि0 की धारा–323 के अंतर्गत एक वर्ष का साधारण कारावास एवं 500/–रु0 का जुर्माना, जुर्माना न देने की दशा में 15 दिन का अतिरिक्त कारावास।

भा0दं0वि0 की धारा–498ए के अंतर्गत 03 वर्ष का कारावास एवं 5,000/–रु0 का जुर्माना, जुर्माना न देने की दशा में 03 मास का अतिरिक्त कारावास।

Manoj 12.08.2026

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम वैशाली, हाजीपुर सत्यमेव जयते

भा0दं0वि0 की धारा–304बी के अंतर्गत 14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000/–रु0 का जुर्माना, जुर्माना न देने की दशा में 06 मास का अतिरिक्त कारावास।

भा0दं0वि0 की धारा–504 के अंतर्गत 02 वर्ष का साधारण कारावास एवं 3,000/–रु0 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना न देने की दशा में 03 मास का अतिरिक्त कारावास।

भा0दं0वि0 की धारा–506 के अंतर्गत 02 वर्ष का साधारण कारावास एवं 3,000/–रु0 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना न देने की दशा में तीन मास का अतिरिक्त कारावास।

सभी सजाएं साथ–साथ चलेगी तथा दोष–सिद्ध अभियुक्त द्वारा पूर्व में कारावास में बितायी गयी निरोध की अवधि दंडादेश की अवधि में से दं0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के अंतर्गत मुजरा किया जायेगा।

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st
Vaishali at Hajipur
Present : Manoj Kumar Tiwari, D. & A.S.J.-Ist, Vaishali.
Date of Judgment:-03.08.2026
S.Tr. No.- 470/2024+597/2024
Case No. :- Mahila P.S. Case No.-21/2023

कार्यालय इस निर्णय की एक प्रति दोष–सिद्ध अभियुक्त को तत्काल निःशुल्क प्रदान करें।

पीड़ित का निर्धारण :– इस मामले में मृतका के माता एवं पिता बिहार पीड़ित प्रतिकर अधिनियम तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–357ए के अधीन पीड़ित की परिभाषा में आते हैं, अतः जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हाजीपुर, वैशाली पीड़ितजन को पर्याप्त प्रतिकर प्रदान करेंगे, इसके लिए कार्यालय निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हाजीपुर, वैशाली को भी प्रेषित करे।

कार्यालय लिपिक अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

Dictated & Corrected by me.
(Sd/-) 13.08.2026
(Manoj Kumar Tiwari)
District & Additional Sessions Judge 1st,
Dated-13.08.2026

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, वैशाली, हाजीपुर

Dictated
(Sd/-) 13.08.2026
(Manoj Kumar Tiwari)
District & Additional Sessions Judge 1st,
Vaishali at Hajipur,
Dated-13.08.2026

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर